

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1611  
10.03.2025 को उत्तर के लिए

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

1611. श्री राहुल कस्वां :

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को की-गई कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री  
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं:

1. सीपीसीबी ने दिनांक 12.02.2025 के पत्र के माध्यम से पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) सहित सभी एसपीसीबी/ पीसीसी को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के श्रेणीकरण को अपनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए निदेश जारी किए हैं। हाल ही में, सीपीसीबी द्वारा प्रदूषण की संभावना के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के श्रेणीकरण की पद्धति को संशोधित किया गया है और " औद्योगिक क्षेत्रों का लाल, नारंगी, हरा, सफेद और नीला श्रेणियों में वर्गीकरण" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उसकी प्रति सीपीसीबी की वेबसाइट (<http://cpcb.nic.in/cpcb-directions.php>) पर उपलब्ध है। इस संबंध में, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) से की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रतीक्षित है।
2. सीपीसीबी ने दिनांक 12.08.2024 के पत्र के माध्यम से पीपीसीबी को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत मानकों का अनुपालन न करने वाले सार्वजनिक बहिःस्त्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निदेश जारी किया ताकि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत जारी

पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय मानकों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। सीपीसीबी के दिनांक 12.08.2024 के निदेशों की प्रति **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है। तदुपरांत, पीपीसीबी से की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि अनुपालन न करने वाले सीईटीपी को अपशिष्ट निस्सरण की शर्तों तथा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश जारी किए गए थे। पीपीसीबी से प्राप्त एटीआर की प्रति **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

3. इसके अलावा, गत पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) में सीपीसीबी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत निम्नलिखित निदेश जारी किए गए हैं जिन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	जारी करने की तिथि	विषय	की गई कार्रवाई रिपोर्ट की स्थिति
1.	12.08.2021	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों का श्रेणीकरण	प्राप्त हुई।
2.	13.09.2023	कैप्टिव पावर संयंत्रों द्वारा ऐश पोर्टल पर पंजीकरण और डेटा अपलोड करना	प्राप्त हुई।
3.	03.05.2024	जारी खनन पट्टों के संबंध में संकलित खनन सूचना उपलब्ध कराना।	प्राप्त हुई।
4.	14.10.2024	राख अधिसूचना, 2021 का प्रवर्तन	प्राप्त होनी है।
5.	07.02.2025	खनन और उससे संबद्ध कार्यकलापों को संचालित करने के लिए नदी धाराओं/स्रोतों पर अस्थायी पुलों के निर्माण की संभावना	प्राप्त होनी है।

		के संबंध में विकास कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य शीर्षक के ओ.ए.सं. 581/2022 में माननीय एनजीटी के दिनांक 30.04.2024 तथा 10.01.2025 के आदेशों का संकलन	
--	--	---	--

सीपीसीबी/आईपीसी-VII/सीईटीपी-लुधियाना/3471

दिनांक : 12.08.2024

सेवा में,

सदस्य सचिव  
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
वातावरण भवन, नाभा रोड  
पटियाला, पंजाब

**विषय:** चार सीईटीपी अर्थात क. 40 एमएलडी सीईटीपी सेंट्रल जेल के पास, ताजपुर रोड (फोकल प्वाइंट मॉड्यूल), लुधियाना, पंजाब, ख. 50 एमएलडी सीईटीपी ताजपुर-राहों रोड क्लस्टर, लुधियाना, सेंट्रल जेल के पास, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब, ग. 15 एमएलडी सीईटीपी- बहादुरके रोड, लुधियाना, पंजाब और घ. 500 केएलडी सीईटीपी, प्लॉट नंबर डी-260-261, फेज़-VIII, फोकल प्वाइंट, लुधियाना, पंजाब को अनुपालन न करने की स्थिति के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के तहत निर्देश।

**जबकि,** अन्य बातों के अलावा, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 के अंतर्गत, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), (या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रदूषण नियंत्रण समिति)के कार्यों में से एक राज्य में स्थित जलधाराओं और कुओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है; तथा

**जबकि,** अन्य बातों के अलावा, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 16 के अंतर्गत, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के कार्यों में से एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों की गतिविधियों का समन्वय करना और एसपीसीबी/पीसीसी को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है; तथा

**जबकि,** अन्य बातों के अलावा, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 16 के अंतर्गत, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के कार्यों में से एक, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलधाराओं और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना है; तथा

**जबकि,** केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों, साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) तथा मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सरण के लिए मानक अधिसूचित किए हैं: तथा

**जबकि,** निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए सीईटीपी के भीतर स्वतः निगरानी की प्रणाली की आदत डालने की आवश्यकता है और इसे ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है; तथा

**जबकि,** सीपीसीबी से केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा किए गए की पत्राचार के आधार पर सीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा पंजाब पीसीबी के अधिकारियों के साथमिलकर चार सीईटीपी अर्थात् (i) सीईटीपी-40 एमएलडी सेंट्रल जेल के पास, ताजपुर रोड (फोकल प्वाइंट मॉड्यूल), लुधियाना, पंजाब, (ii) सीईटीपी 50 एमएलडी ताजपुर-राहों रोड क्लस्टर, लुधियाना, सेंट्रल जेल के पास, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब, (iii) सीईटीपी-15 एमएलडी बहादुरके रोड, लुधियाना, पंजाब और (iv) सीईटीपी-500 केएलडी सीईटीपी, प्लॉट नंबर डी-260-261, चरण-VIII, फोकल प्वाइंट, लुधियाना, पंजाब का दिनांक 22.04.2024 और 23.04.2024 के दौरान निरीक्षण किया गया। निम्नलिखित प्रमुख अवलोकन किए गए:

**क. सीईटीपी- 40 एमएलडी, सेंट्रल जेल के पास, ताजपुर रोड (फोकल प्वाइंट मॉड्यूल), लुधियाना, पंजाब (इसके बाद सीईटीपी के रूप में संदर्भित):**

- i. दिनांक 22.04.2024 को किए गए दौर के दौरान, सीईटीपी को 29 एमएलडी की प्रवाह दर से प्रचालनरत पाया गया। सीईटीपी समर्पित भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से बहिस्त्राव प्राप्त करता है और इसका शोधन सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित है। यह बताया गया कि सीईटीपी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से शोधित बहिस्त्राव को बुड़्ढा नाला (जो सतलुज नदी से मिलता है) में छोड़ रहा है। हालाँकि, दिनांक 03.05.2013 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सीईटीपी को जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) के अनुसार, "शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा" और विशेष नियमों तथा शर्तों में यह भी उल्लेख किया गया है कि, "बुड़्ढा नाला में कोई निस्सरण नहीं किया जाएगा"।
- ii. वायु अधिनियम, 1981 के तहत सहमति दिनांक 29.12.2024 तक वैध है और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचालन) नियम, 2016 के तहत 40 एमएलडी सीईटीपी के संचालन के लिए प्रदत्त प्राधिकार दिनांक 19.12.2024 तक वैध है। हालाँकि, जल अधिनियम, 1974 के तहत सहमति दिनांक 15.05.2023 तक वैध थी। सीईटीपी ने दिनांक 07.09.2023 को पीपीसीबी को सहमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।
- iii. यह बताया गया कि 72 रंगाई और छपाई इकाइयों ने सीईटीपी से सदस्यता प्राप्त कर ली है। सीईटीपी संचालक द्वारा यह भी बताया गया कि सहमति में सीईटीपी के लिए इनलेट मानदंड निर्धारित नहीं है।
- iv. निगरानी के दौरान सीईटीपीसे गैब नमूने एकत्र किए गए। सीईटीपीआउटलेट से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणाम से पता चलता है कि BOD: 54 mg/l (मानक: 30 mg/l), COD: 262 mg/l (मानक: 250 mg/l), क्लोराइड: 2284 mg/l (मानक: 1000 mg/l) और सल्फाइड: 2.4 mg/l

(मानक: 2 mg/l) के संबंध में सीईटीपीके लिए अधिसूचित बहिस्साव निस्सरण मानकों से अधिक हैं। अन्य निगरानी पैरामीटर निर्धारित मानकों के भीतर हैं।

- v. एमएलएसएस और एमएलवीएसएस के लिए सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर) टैंक से भी ग्रेब सैंपल एकत्र किए गए। विश्लेषण के परिणाम से पता चलता है कि एमएलएसएस की सांद्रता: 4661 मिलीग्राम/लीटर (डिजाइन की गई सीमा: 5000-7000 मिलीग्राम/लीटर) और एमएलवीएसएस की सांद्रता: 3000 मिलीग्राम/लीटर (डिजाइन की गई सीमा: 3500-4200 मिलीग्राम/लीटर) डिजाइन की गई सीमा से कम है, जो एसबीआर के खराब संचालन को दर्शाता है।
  - vi. सीईटीपी ने पी.पी.सी.बी. और सी.पी.सी.बी. सर्वर से कनेक्टिविटी के साथ पीएच, टी.एस.एस., सी.ओ.डी., बी.ओ.डी. जैसे मापदंडों के लिए शोधितबहिस्साव के अंतिम आउटलेट पर ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओ.सी.ई.एम.एस.) स्थापित की है। दौरे के दौरान, ओ.सी.ई.एम.एस. परिचालनरत पाया गया और निगरानी परिणामों की तुलना में ओ.सी.ई.एम.एस. रीडिंग में भिन्नता भी पाई गई जो ओ.सी.ई.एम.एस. प्रणाली के अनुचित कामकाज/सत्यापन/अंशांकन को इंगित करता है।
  - vii. सी.ई.टी.पी. ने मैसर्स री-सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड (मैसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड) से कीचड़ भंडारण सुविधा प्रदान की है और सदस्यता प्राप्त की है। सी.ई.टी.पी. ने वर्ष 2023-24 के दौरान 3517.235 मीट्रिक टन कीचड़ (लॉग बुक रिकॉर्ड के अनुसार) का निपटान किया था।
- ख. सीईटीपी - 50 एमएलडी, ताजपुर - राहों रोड क्लस्टर, लुधियाना, सेंट्रल जेल के पास, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब।**
- i. दिनांक 22.04.2024 को किए गए दौरे के दौरान, सीईटीपी को 46 एमएलडी की प्रवाह दर से परिचालनरत पाया गया। सीईटीपी समर्पित भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से बहिस्साव प्राप्त करता है और शोधन सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित है। यह बताया गया कि सहमति के अनुसार, सीईटीपी को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सीईटीपी से बुड़डा नाला (जो सतलुज नदी से मिलता है) में शोधितबहिस्साव को छोड़ने की अनुमति है। हालाँकि, दिनांक 03.05.2013 को सीईटीपी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईसी के अनुसार, "शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा" और विशेष नियमों और शर्तों में यह भी उल्लेख किया गया है कि, "बुड़डा नाला में कोई निस्सरण नहीं किया जाएगा"।
  - ii. 50 एमएलडी सीईटीपी के संचालन के लिए वायु अधिनियम, 1981 के तहत सहमति दिनांक 31.03.2026 तक वैध है। हालाँकि, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत प्रदत्त प्राधिकार दिनांक 04.12.2023 तक वैध था और जल अधिनियम, 1974 के तहत दी गई सहमति दिनांक 22.08.2023 तक वैध थी। सीईटीपी ने दिनांक 31.08.2023 को सहमति और प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए पीपीसीबी को आवेदन किया है।

- iii. यह बताया गया कि 110 रंगाई और छपाई इकाइयों ने सीईटीपी से सदस्यता प्राप्त कर ली है। सीईटीपी संचालक द्वारा यह भी बताया गया कि सहमति में सीईटीपी के लिए इनलेट मानदंड निर्धारित नहीं है।
- iv. निगरानी के दौरान सीईटीपीसे ग्रैब नमूने एकत्र किए गए। सीईटीपी आउटलेट से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणाम से पता चलता है कि BOD: 128 mg/l (मानक: 30mg/l), COD: 382 mg/l (मानक: 250 mg/l) और क्लोराइड: 1713 mg/l (मानक: 1000 mg/l) के संबंध में सीईटीपी के लिए अधिसूचित बहिस्राव निस्सरण, मानकों से अधिक है। अन्य निगरानी किए गए पैरामीटर निर्धारित मानकों के भीतर हैं।
- v. एमएलएसएस और एमएलवीएसएस के लिए सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर) टैंक से भी ग्रैब नमूने एकत्र किए गए। विश्लेषण के परिणाम से पता चलता है कि एमएलएसएस की सांद्रता: 300 मिलीग्राम/एल (डिजाइन मूल्य: 5000 मिलीग्राम/एल) और एमएलवीएसएस की सांद्रता: 215 मिलीग्राम/एल (डिजाइन मूल्य: 4000 मिलीग्राम/एल) डिजाइन मूल्यों से कम है, जो एसबीआर के खराब संचालन को इंगित करता है।
- vi. सीईटीपी ने पीपीसीबी और सीपीसीबी सर्वर से कनेक्टिविटी के साथ पीएच, टीएसएस, सीओडी, बीओडी जैसे मापदंडों के लिए शोधित अपशिष्ट जल के अंतिम आउटलेट पर ऑनलाइन सतत बहिस्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित की है। दौरे के दौरान, ओसीईएमएस को प्रचालनरत पाया गया और निगरानी परिणामों की तुलना में ओसीईएमएस रीडिंग में भिन्नता भी रिपोर्ट की गई जो ओसीईएमएस प्रणाली के अनुचित कामकाज/सत्यापन/अंशांकन को इंगित करता है।
- vii. दौरे के दौरान, यह देखा गया कि सीईटीपी ने कीचड़ भंडारण सुविधा प्रदान की है और कीचड़ के निपटान के लिए मेसर्स री-सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड (मेसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड) से सदस्यता प्राप्त की है। सीईटीपी ने वर्ष 2023-24 के दौरान टीएसडीएफ के माध्यम से 1597.20 मीट्रिक टन कीचड़ का निपटान किया था और लॉग बुक रिकॉर्ड के अनुसार, परिसर में लगभग 173 मीट्रिक टन कीचड़ संग्रहीत किया गया था।

#### **ग. सीईटीपी - 15 एमएलडी सीईटीपी- बहादुरके रोड, लुधियाना, पंजाब।**

- i. दिनांक 22.04.2024 को किए गए दौरे के दौरान, सीईटीपी को 11.26 एमएलडी की प्रवाह दर के साथ प्रचालनरत पाया गया। सीईटीपी समर्पित भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से बहिस्राव प्राप्त करता है और इसका शोधन अनुक्रमिक बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित है। यह बताया गया कि सीईटीपी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से उपचारित बहिस्राव को बुड़्ढा नाला (जो सतलुज नदी से मिलता है) में सीईटीपी से छोड़ रहा है। हालाँकि, दिनांक 08.12.2014 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईसी के अनुसार, सीईटीपी को एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम स्थापित करना आवश्यक है।

- ii. 15 एमएलडी सीईटीपी के संचालन के लिए वायु अधिनियम, 1981 के तहत सहमति दिनांक 31.03.2025 तक वैध है। हालांकि, जल अधिनियम, 1974 के तहत प्रदत्त सहमति दिनांक 04.01.2023 तक वैध थी और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचालन) नियम, 2016 के तहत प्रदत्त प्राधिकार दिनांक 04.10.2022 तक वैध था, जिसके लिए सीईटीपी ने पीपीसीबी को नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।
  - iii. यह बताया गया कि 36 रंगार्ड/छपाई/धुलाई इकाइयों ने सीईटीपी से सदस्यता प्राप्त की है और दौरे के समय सीईटीपी से जुड़ी हैं। सीईटीपी ऑपरेटर द्वारा यह भी बताया गया कि सहमति में सीईटीपी के लिए इनलेट मानदंड निर्धारित नहीं हैं।
  - iv. निगरानी के दौरान सीईटीपी से गैब नमूने एकत्र किए गए। सीईटीपी आउटलेट से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि बीओडी: 243 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 30 मिलीग्राम/लीटर), सीओडी: 587 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 250 मिलीग्राम/लीटर), क्लोराइड: 1904 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 1000 मिलीग्राम/लीटर) और सल्फाइड: 16 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 2 मिलीग्राम/लीटर) के संबंध में सीईटीपी के लिए अधिसूचित बहिस्त्राव निस्सरण मानकों से अधिक है। अन्य निगरानी पैरामीटर निर्धारित मानकों के भीतर हैं।
  - v. एमएलएसएस और एमएलवीएसएस के लिए अनुक्रमिक बैच रिएक्टर (एसबीआर) टैंक से गैब नमूने एकत्र किए गए। नमूना विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि एमएलएसएस की सांद्रता: 2639 मिलीग्राम/लीटर (डिजाइन मूल्य: 4840 मिलीग्राम/लीटर) और एमएलवीएसएस की सांद्रता: 1179 मिलीग्राम/लीटर (डिजाइन मूल्य: 3872 मिलीग्राम/लीटर) डिजाइन किए गए मूल्यों से कम है, जो एसबीआर के खराब संचालन को इंगित करता है।
  - vi. सीईटीपी ने पीपीसीबी और सीपीसीबी सर्वर से कनेक्टिविटी के साथ पीएच, टीएसएस, सीओडी, बीओडी जैसे मापदंडों के लिए उपचारित अपशिष्ट के अंतिम आउटलेट पर ऑनलाइन निरंतर अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित किया है। दौरे के दौरान, ओसीईएमएस को प्रचालनरत पाया गया और निगरानी परिणामों की तुलना में ओसीईएमएस रीडिंग में भिन्नता भी रिपोर्ट की गई जो ओसीईएमएस प्रणाली के अनुचित कामकाज/सत्यापन/अंशांकन को इंगित करता है।
  - vii. दौरे के दौरान, यह देखा गया कि सीईटीपी ने कीचड़ भंडारण सुविधा प्रदान की है और कीचड़ के निपटान के लिए मेसर्स री-सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड (मेसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड) से सदस्यता प्राप्त की है। सीईटीपी ने टीएसडीएफ के माध्यम से दिनांक 02.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 की अवधि के दौरान 602.685 मीट्रिक टन कीचड़ का निपटान किया था।
- घ. **सीईटीपी 500 केएलडी सीईटीपी, प्लॉट नंबर डी - 260-261, फेज - VIII, फोकल प्वाइंट, लुधियाना, पंजाब।**
- i. दिनांक 23.04.2024 को किए गए दौरे के दौरान, सीईटीपी को 450 केएलडी की प्रवाह दर से प्रचालनरत पाया गया। यह सूचित किया जाता है कि सीईटीपी अपशिष्ट ले जाने के लिए GPS

सिस्टम से लैस वाहनों (संख्या में 56) के माध्यम से सदस्य इकाइयों से समर्पित टैंकों बहिःस्राव प्राप्त करता है। सीईटीपी में भौतिक-रासायनिक प्रक्रिया के बाद फिल्ट्रेशन, दो चरण रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) और उसके बाद वाष्पीकरण शामिल है ताकि सहमति और EC शर्त के अनुसार ZLD प्राप्त किया जा सके।

- ii. 500 KLD सीईटीपी के संचालन के लिए वायु सहमति दिनांक 30.06.2028 तक और जल सहमति 30.06.2027 तक वैध है। हालाँकि, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचालन) नियम, 2016 के तहत प्रदत्त प्राधिकार दिनांक 16.06.2021 तक वैध था। बताया गया कि सीईटीपी ने दिनांक 01.10.2021 को पीपीसीबी को प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।
- iii. यह बताया गया कि 1613 इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग/धातु सतह शोधन इकाइयों ने सीईटीपी से सदस्यता प्राप्त की है और दौरे के समय सीईटीपी से जुड़े हैं। सीईटीपी ऑपरेटर द्वारा यह भी बताया गया कि सहमति में सीईटीपी के लिए इनलेट मानदंड निर्धारित नहीं हैं।
- iv. दौरे के दिन, यह देखा गया कि आरओ फीड, आरओ रिजेक्ट, इवेपोरेटर वेसल्स फीड और इवेपोरेटर कंसंट्रेट पर फ्लो मीटर लगाए गए हैं। बताया गया कि सीईटीपी ने कैटियन-एनियन और कार्बन फिल्टर सिस्टम पर डिफरेंशियल प्रेशर गेज प्रणाली स्थापित नहीं की है, जिसका उपयोग फिल्ट्रेशन प्रणाली के चोकिंग/स्केलिंग को इंगित करने के लिए किया जा सकता है।
- v. दौरे के दौरान, सीईटीपी के आरओ आउटलेट से गैब नमूने एकत्र किए गए। दौरे के दौरान सीईटीपी परिसर से निकलने वाले अपशिष्ट का कोई निस्सरण नहीं देखा गया। बताया गया है कि शोधित बहिःस्राव (आरओ पर्मिएट और कंडेनसेट) का उपयोग कूलिंग टावर मेकअप वाटर, वृक्षारोपण, बागवानी, एमसी पार्क, डीसी कार्यालय, एनएच-95, निर्माण कार्यों में पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। सीईटीपी ने मैसर्स वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड सी-58, फोकल पॉइंट फेज-3, लुधियाना के साथ भी समझौता किया है, ताकि आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए टैंकों के माध्यम से 100 केएलडी शोधित अपशिष्ट लिया जा सके। इसके अलावा, सीईटीपी ऑपरेटर ने बागवानी, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक उपयोग और अन्य के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए शोधित अपशिष्ट का रिकॉर्ड बनाए रखा है। सीईटीपी ने एक पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित की है।
- vi. सीईटीपी ने अंतिम आउटलेट/आरओ परमिट पर ओसीईएमएस (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, पीटीजेड कैमरा) स्थापित किया है जो सीपीसीबी निर्देशों के अनुपालन में सीपीसीबी/पीसीबी पोर्टल से जुड़ा हुआ है।
- vii. सीईटीपी ने घरेलू अपशिष्ट जल के शोधन के लिए मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर (एमबीबीआर) के साथ 05 केएलडी एसटीपी स्थापित किया है।

**और, अब, इसलिए,** जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने सहित उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सीईटीपी का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

- क. शोधन प्रणाली का उचित ढंग से संचालन/संवर्द्धन, ताकि निर्धारित निस्सरण मानकों को पूरा किया जा सके और उपरोक्त 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी सीईटीपी में दिनांक 03.05.2013 और 08.12.2014 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन किया जा सके। इसके अलावा, 50 एमएलडी सीईटीपी, 40 एमएलडी सीईटीपी और 15 एमएलडी सीईटीपी से बुड्ढा नाला में शोधित बहिःस्राव का निस्सरण बंद किया जाए।
- ख. जल अधिनियम-1974 के तहत वैध सहमति/पीपीसीबी से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचालन) नियम, 2016 के तहत प्रदत्त प्राधिकार और उसके उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जाए।
- ग. आपूर्तिकर्ताओं की मानक प्रचालन प्रक्रियाओं/सिफारिशों के अनुसार ओसीईएमएस विश्लेषकों का नियमित अंशान्कन, रखरखाव और सत्यापन करना, ताकि निरंतर और विश्वसनीय डेटा का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, पीपीसीबी को यह भी निर्देश दिया जाता है:

- क. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.05.2013 और 08.12.2014 को जारी पर्यावरण मंजूरी के अनुसार संबंधित सीईटीपी के लिए निपटान की स्थिति निर्धारित करना।
- ख. सीईटीपी की दिनांक 01.01.2016 की अधिसूचना के अनुसार सीईटीपी के लिए इनलेट मानक निर्धारित करना।
- ग. व्यक्तिगत सदस्य उद्योग द्वारा पीईटीपी/ईटीपी के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीईटीपी के सदस्य उद्योगों का नियमित रूप से सत्यापन करना।

पीपीसीबी द्वारा की गई कार्रवाई से इन निर्देशों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर पीपीसीबी को अवगत कराया जाए।

(भरत कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

1. **अध्यक्ष :** जानकारी के लिए  
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
वातावरण भवन, नाभा रोड  
पटियाला पंजाब
- 2 . **अपर सचिव (सीपी प्रभाग) :** जानकारी के लिए

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
पृथ्वी विंग, द्वितीय तल, इंदिरा पर्यावरण भवन,  
जोर बाग रोड,  
नई दिल्ली - 110003

3 . **क्षेत्रीय निदेशक (चंडीगढ़):**

अनुवर्ती कार्रवाई के लिए

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, दूसरी मंजिल  
सेक्टर-49सी, चंडीगढ़-160047

4. **प्रभागीय प्रमुख, WQM-I,:**

जानकारी के लिए

सीपीसीबी, दिल्ली

5. **प्रभागीय प्रमुख, आईपीसी-VI:**

जानकारी के लिए

सीपीसीबी, दिल्ली

6. **संभागीय प्रमुख, आईटी:**

वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

सीपीसीबी, दिल्ली

(भरत कुमार शर्मा)

## पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पीपीसीबी/सं. 24968

दिनांक: 30.9.2024

सेवा में,

सदस्य सचिव,

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

परिवेश भवन, महर्षि वाल्मिकी मार्ग,

ईस्ट अर्जुन नगर, विश्वास नगर एक्सटेंशन,

विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

विषय: जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(बी) के तहत चार सीईटीपीएस के गैर-अनुपालन स्थिति के लिए निर्देश, अर्थात् ए. 40 एमएलडी सीईटीपी, सेंट्रल जेल के पास, ताजपुर रोड (फोकल प्वाइंट मॉड्यूल), लुधियाना, पंजाब, बी. 50 एमएलडी सीईटीपी, सेंट्रल जेल के पास, ताजपुर रोड (ताजपुर राहों रोड क्लस्टर), लुधियाना, सी. 15 एमएलडी सीईटीपी, बहादुरके रोड, लुधियाना और डी. 500 एमएलडी सीईटीपी, प्लॉट नंबर डी-260-61, फेज-8, फोकल प्वाइंट, लुधियाना, पंजाब।

संदर्भ: सीपीसीबी पत्र संख्या सीपीसीबी/आईपीसी-VII/सीईटीपी-लुधियाना/3471 दिनांक 12.08.2024.

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 22575 दिनांक 09.09.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ प्राप्त करें।

2) उक्त पत्र के क्रम में, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी निर्देश प्राप्त होने के बाद सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने से पहले 50 एमएलडी, 40 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता वाले एसपीवी/सीईटीपीएस को बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष 18.09.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया है (पहले यह सुनवाई 13.09.2024 को होनी थी)।

3. दिनांक 18.09.2024 को 50 एमएलडी, 40 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता वाले एसपीवी/सीईटीपीएस के प्रतिनिधियों की सुनवाई के बाद, पीपीसीबी ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी किए हैं, जिससे सीईटीपी को पर्यावरणीय मंजूरी में लगाए गए निपटान की शर्तों का पालन करने के लिए बुढ़ा नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में अपशिष्ट छोड़ने से रोक दिया गया है। 50 एमएलडी, 40 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता वाले एसपीवी/सीईटीपी को जारी किए गए प्रासंगिक निर्देश नीचे दिए गए हैं:

**क. बहादुर के रोड, लुधियाना में स्थित 15 एमएलडी क्षमता का सीईटीपी:**

1. यह कि, एसपीवी यह सुनिश्चित करेगा कि सीईटीपी की उपचार प्रणाली का संचालन/संवर्द्धन उचित रूप से किया जाए, ताकि निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.12.2014 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन किया जा सके।
2. यह कि, एसपीवी 15 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी से बुढ़ा नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट को तुरंत रोक देगा।

**ख. लुधियाना के ताजपुर रोड पर स्थित 50 एमएलडी क्षमता का सीईटीपी:**

1. यह कि, एसपीवी निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा करेगा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.05.2013 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन करेगा।
2. यह कि, एसपीवी 50 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी से बुढ़ा नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में अपशिष्ट के निर्वहन को तुरंत रोक देगा।

**ग. ताजपुर रोड, लुधियाना स्थित 40 एमएलडी क्षमता का सीईटीपी:**

1. यह कि, एसपीवी निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा करेगा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.05.2013 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन करेगा।
2. यह कि, एसपीवी 40 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी से बुढ़ा नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में अपशिष्ट के निर्वहन को तुरंत रोक देगा।

4. सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त सीईटीपी से जुड़ी डाइंग इकाइयों के लिए पीईटीपी मानकों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है ताकि उक्त सीईटीपी के उचित और प्रभावी संचालन के लिए इनलेट गुणवत्ता मानदंडों को पूरा किया जा सके।

5. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसरण में 50 एमएलडी, 40 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी को जारी निर्देशों की प्रतियां अवलोकन एवं आगे की कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

डीआईए: जैसा कि ऊपर बताया गया है।

सदस्य सचिव

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जोनल ऑफिस-II, ई-648-बी, बैंक साइड सीआईसीयू ऑफिस, फेज-5, फोकल प्वाइंट, लुधियाना

ई-मेल: seezo2 dhppcb@yahoo.com

क्रमांक पीपीसीबी/एसईई/जेडओ-2/एलडीएच/2024/5805

पंजीकृत

दिनांक 25/09/24

अध्यक्ष,

पंजाब डायर्स एसोसिएशन 50 एमएलडी सीईटीपी प्लांट,

बैंकसाइड सेंट्रल जेल, ताजपुर रोड, लुधियाना।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के अंतर्गत निर्देश, जैसा कि 1988 में संशोधित किया गया।

जबकि, पंजाब डायर्स एसोसिएशन (एसपीवी) लुधियाना में ताजपुर रोड पर स्थित कपड़ा डाइंग उद्योगों के समूह के अपशिष्ट जल के उपचार के लिए स्थापित 50 एमएलडी क्षमता का एक सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) संचालित कर रहा है।

और जबकि, 50 एमएलडी क्षमता के एसपीवी की स्थापना और कमीशनिंग के बाद से, बोर्ड द्वारा समय-समय पर पर्यावरण कानूनों, विशेष रूप से जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए नोटिस, अनुरोध, अनुस्मारक जारी करने और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई के अवसर प्रदान करने के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। बोर्ड के अधिकारी सीईटीपीआर के कमीशनिंग के बाद से कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की मासिक निगरानी भी कर रहे हैं।

और जबकि, एसपीवी को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत संचालन करने की सहमति दी गई थी, संख्या सीटीओडब्ल्यू/फ़ेश/एलडीएच3/2022/18475759 दिनांक 23.08.2022, जो लुधियाना में ताजपुर रोड पर स्थित कपड़ा डाइंग उद्योगों के समूह से उत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 22.08.2023 तक वैध है, निम्नलिखित विशेष शर्तों के साथ:

1. एसपीवी 25.08.2022 तक उद्योगों के अलग-अलग आउटलेट पर फ्लो मीटर स्थापित करेगा और उन्हें कन्वेयंस सिस्टम से जोड़ेगा तथा सीईटीपी के इनलेट/आउटलेट पर फ्लो मीटर को वेब-आधारित सर्वर से जोड़ेगा।
2. एसपीवी को 25.08.2022 तक साइट पर खतरनाक अपशिष्ट भंडारण कक्ष का निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
3. एसपीवी 25.08.2022 तक सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
4. एसपीवी यह सुनिश्चित करेगा कि सीईटीपी 50 एमएलडी की परिवहन प्रणाली में किसी भी स्थान पर मैनहोल से कोई ओवरफ्लो न हो।
5. एसपीवी को बुढ़ा नाला में निर्वहन से पहले 10 दिनों के भीतर एक उचित आउटलेट का निर्माण करना होगा, जहां से अपशिष्ट का नमूना एकत्र किया जा सके और एक महीने के भीतर उक्त स्थान पर अतिरिक्त ओसीईएमएस का एक सेट भी स्थापित करना होगा।
6. एसपीवी सीईटीपी को स्थिर करेगा ताकि 30.09.2022 तक अंतिम आउटलेट पर निर्धारित मानक प्राप्त किया जा सके, ऐसा न करने पर बोर्ड आउटलेट को संचालित करने की सहमति देने से इनकार करने और सदस्य उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी करने और बिना किसी नोटिस के पर्यावरण मुआवजा लगाने के लिए बाध्य होगा।

7. एसपीवी को 25.08.2022 तक सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित अपशिष्ट के निर्वहन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

और जबकि, अधिकारी ने आगे बताया कि केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) के निर्देशों के अनुपालन में, सीपीसीबी ने 02.04.2024 को बुढ़ा नाला और सतलुज नदी का निरीक्षण और निगरानी की है। सीपीसीबी ने 22.04.2024 को लुधियाना में स्थित 04 सीईटीपीएस का निरीक्षण भी किया है और लुधियाना के चार सीईटीपी के गैर-अनुपालन के संबंध में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) के तहत निर्देश जारी किए हैं। 50 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी का सीपीसीबी की टीम ने दौरा किया और निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

1. दिनांक 22.04.2024 को दौरे के दौरान, सीईटीपी को 46 एमएलडी की प्रवाह दर के साथ चालू पाया गया। सीईटीपी समर्पित भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से अपशिष्ट प्राप्त करता है और उपचार अनुक्रमिक बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित है। टीम को बताया गया कि सहमति के अनुसार, सीईटीपी को सीईटीपी से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से बुढ़ा नाला (जो सतलुज नदी से मिलता है) में उपचारित अपशिष्ट को छोड़ने की अनुमति है। हालांकि, 03.05.2013 को सीईटीपी को एमओईएफ और सीसी द्वारा जारी ईसी के अनुसार, "उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा" और विशेष नियमों और शर्तों में यह भी उल्लेख किया गया है कि, "बुढ़ा नाला में कोई निर्वहन नहीं किया जाएगा"।

2. 50 एमएलडी सीईटीपी के संचालन के लिए वायु अधिनियम, 1981 के तहत सहमति 31.03.2026 तक वैध है। हालांकि, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण 04.12.2023 तक वैध था और जल अधिनियम, 1974 के तहत सहमति 22.08.2023 तक वैध थी। सीईटीपी को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत अपनी सहमति तथा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण का नवीनीकरण आज तक नहीं मिला है।

3. यह बताया गया कि 110 डाइंग और छपाई इकाइयों ने सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र से सदस्यता प्राप्त कर ली है, सीईटीपी ऑपरेटर द्वारा यह भी बताया गया कि सीईटीपी के लिए इनलेट मानदंड सहमति में निर्धारित नहीं है।

4. निगरानी के दौरान सीईटीपी से ग्रेब नमूने एकत्र किए गए। सीईटीपी आउटलेट से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणाम से पता चलता है कि बीओडी: 128 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 30 मिलीग्राम/लीटर), सीओडी: 382 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 250 मिलीग्राम/लीटर) और क्लोराइड: 1713 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 1000 मिलीग्राम/लीटर) सीईटीपी के लिए अधिसूचित अपशिष्ट निर्वहन मानकों से अधिक है। शेष निगरानी किए गए पैरामीटर निर्धारित मानकों के भीतर हैं।

5. एमएलएसएस और एमएलवीएसएस के लिए अनुक्रमिक बैच रिएक्टर (एसबीआर) टैंक से भी ग्रैब सैंपल एकत्र किए गए। विश्लेषण के परिणाम से पता चलता है कि एमएलएसएस की सांद्रता: 300 मिलीग्राम/लीटर (डिज़ाइन किया गया मान: 5000 मिलीग्राम/लीटर) और एमएलवीएसएस की सांद्रता: 215 मिलीग्राम/लीटर (डिज़ाइन किया गया मान: 4000 मिलीग्राम/लीटर) डिज़ाइन किए गए मानों से कम है, जो एसबीआर के खराब संचालन को दर्शाता है।

6. सीईटीपी ने पीएच, टीएसएस, सीओडी, बीओडी मापदंडों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के अंतिम आउटलेट पर ऑनलाइन निरंतर अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित की है, जो पीपीसीबी और सीपीसीबी सर्वर से कनेक्टिविटी के साथ है। दौरे के दौरान, ओसीईएमएस चालू पाया गया और निगरानी किए गए परिणामों की तुलना में ओसीईएमएस रीडिंग में भिन्नता भी पाई गई - जो ओसीईएमएस प्रणाली के अनुचित कामकाज/सत्यापन/अंशांकन को इंगित करता है।

7. दौरे के दौरान, यह देखा गया कि सीईटीपी ने कीचड़ भंडारण सुविधा प्रदान की है और कीचड़ के निपटान के लिए मेसर्स री-सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड (मेसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड) से सदस्यता प्राप्त की है। सीईटीपी ने वर्ष 2023-24 के दौरान टीएसडीएफ के माध्यम से 1597.20 मीट्रिक टन कीचड़ का निपटान किया था और लॉग बुक रिकॉर्ड के अनुसार, परिसर में लगभग 173 मीट्रिक टन कीचड़ संग्रहीत किया गया था।

और चूंकि, एसपीवी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।

और जबकि, पर्यावरण इंजीनियर, जोनल ऑफिस-2, लुधियाना ने बताया कि 22.04.2024 को अपने दौरे के दौरान डाइंग इकाइयों के लिए स्थापित लुधियाना के सीईटीपी के संचालन में सीपीसीबी अधिकारियों की टीम द्वारा देखी गई कमियों के मद्देनजर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18/1(बी) के तहत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र संख्या सीपीसीबी/आईपीसी-VII/सीईटीपी-लुधियाना/3471 दिनांक 12.08.2024 के तहत पर्यावरण मुआवजा लगाने सहित मामले में उचित कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि सीईटीपी का संचालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए:

क) उपचार प्रणाली का उचित तरीके से संचालन/संवर्धन, ताकि निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके और 03.05.2013 और 08.12.2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन किया जा सके। उपरोक्त 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी सीईटीपीएस में उपचारित अपशिष्ट को बृहदा नाला में प्रवाहित करने से रोका जाएगा।

ख) जल अधिनियम, 1974 के तहत वैध सहमति पीपीसीबी से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण और उसमें उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन।

ग) आपूर्तिकर्ताओं की मानक संचालन प्रक्रियाओं/सिफारिशों के अनुसार ओसीईएमएस विश्लेषकों का नियमित अंशांकन, रखरखाव और सत्यापन करना, ताकि निरंतर और विश्वसनीय डेटा का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

और जबकि, दिनांक 12.08.2024 के उक्त निर्देशों के तहत, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:

क. दिनांक 03.05.2013 और 08.12.2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के अनुसार संबंधित सीईटीपी के लिए निपटान की शर्तें निर्धारित करना।

ख. दिनांक 01.01.2016 की सीईटीपी अधिसूचना के अनुसार सीईटीपी के लिए इनलेट मानकों को निर्धारित करना।

ग. व्यक्तिगत सदस्य उद्योग द्वारा पीईटीपी/ईटीपी का उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सीईटीपी के सदस्य उद्योगों का नियमित रूप से सत्यापन करना।

और जबकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(बी) के तहत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 12.08.2024 के पत्र के माध्यम से जारी निर्देशों पर विचार करते हुए, 1988 में संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी करने के लिए नोटिस एसपीवी को बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष 13.09.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर जारी किया गया था (जिसे 18.09.2024 तक स्थगित कर दिया गया है)।

और जबकि, श्री विवेक जिंदल और श्री जी. पी. सिंह, एसपीवी (सीईटीपी 50 एमएलडी) के निदेशक और श्री आई. के. कपिला, अधिवक्ता, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई में भाग लिया और एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। पहली बार में, प्रतिनिधियों ने कथित तकनीकी त्रुटियों के मद्देनजर सीपीसीबी की तकनीकी रिपोर्ट से असहमति जताई थी और सीईटीपी के पुनः नमूने के लिए अनुरोध किया था। प्रतिनिधियों ने आगे बताया कि ओसीईएमएस प्रणाली को कैलिब्रेट किया गया था। सिंचाई के प्रयोजनों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के संबंध में, एसपीवी के प्रतिनिधियों द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे बताया गया कि एसपीवी ने बोर्ड को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत काम करने की सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

और जबकि, सुनवाई के दौरान सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि एसपीवी को पहले 03.05.2013 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक विशिष्ट शर्त के साथ पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी कि बुढ़ा नाले में कोई निर्वहन नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा एसपीवी को लगातार जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत अस्थायी रूप से दी गई संचालन की सहमति की शर्त के रूप में सिंचाई के लिए भूमि पर अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने के लिए प्रस्ताव / व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और साथ ही सक्षम प्राधिकारी / बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एसपीवी को दी गई विभिन्न सुनवाईयों में भी। लेकिन, एसपीवी इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहा है और इस प्रकार एसपीवी भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त पर्यावरणीय मंजूरी के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के लिए पर्यावरणीय मुआवजा और बैंक गारंटी लगाने के बाद भी, एसपीवी अभी भी जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।

और जबकि, एसपीवी के प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा उठाई गई टिप्पणियों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

और जबकि, विस्तृत विचार-विमर्श और एसपीवी के प्रतिनिधियों, बोर्ड के अधिकारियों की सुनवाई के बाद और मुद्दे की गंभीरता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के अध्यक्ष ने पाया कि बुढ़ा नाले में अपशिष्ट के निर्वहन को रोकने का उद्देश्य निर्देश जारी किए बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। लुधियाना के ताजपुर रोड पर 50 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी का संचालन करने वाले एसपीवी को उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के प्रावधानों को लागू करने का यह एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत 50 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी के एसपीवी को निम्नलिखित निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया:

1. एसपीवी निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा करेगा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.05.2013 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन करेगा।
2. एसपीवी को 50 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी से बुढ़ा नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट को तुरंत रोकना होगा।

और जबकि, सुनवाई की कार्यवाही उद्योग को दिनांक 25.09.2024 के आदेश संख्या 5795-96 के माध्यम से सूचित कर दी गई थी।

अब, इसलिए, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी, 1988 में संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

1. यह कि, एसपीवी निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा करेगा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.05.2013 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन करेगा।
2. एसपीवी को 50 एमएलडी क्षमता वाले सीईआईपी से बुढ़ा नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में अपशिष्ट के निर्वहन को तुरंत रोकना होगा।

उपर्युक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में, आप 1988 में संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और की ओर से

इएनडी संख्या 5806

दिनांक 25/09/24.

उपरोक्त की एक प्रति पर्यावरण अभियंता, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय - 3, लुधियाना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के संबंध में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और की ओर से

## पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जोनल ऑफिस-II, ई-648-बी, बैंक साइड सीआईसीयू ऑफिस, फेज-5, फोकल प्वाइंट, लुधियाना

ई-मेल: seezo2 [dhppcb@yahoo.com](mailto:dhppcb@yahoo.com)

फ़ोन नं. 0161-2670141

क्रमांक पीपीसीबी/एसईई/जेडओ-2/एलडीएच/2024/2203

पंजीकृत

दिनांक 2509/24

सेवा में,

- 1) चेयरमैन, बहादुर के टेक्सटाइल एवं निटवियर एसोसिएशन (एसपीवी),  
मेसर्स आदिनाथ डाइंग एवं फिनिशिंग मिल्स, बहादुरके रोड,  
डाइंग कॉम्प्लेक्स, लुधियाना।
- 2) निदेशक,  
बहादुर के टेक्सटाइल एवं निटवियर एसोसिएशन (एसपीवी),  
सी/ओ मेसर्स श्री बालाजी फिनिशिंग मिल्स, बहादुरके रोड,  
डाइंग कॉम्प्लेक्स, लुधियाना।

**विषय: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के अंतर्गत निर्देश, जैसा कि 1988 में संशोधित किया गया।**

जबकि, बहादुर के टेक्सटाइल निटवियर एसोसिएशन (सीईटीपी के लिए एसपीवी) ने लुधियाना में बहादुर के रोड पर स्थित टेक्सटाइल डाइंग उद्योगों के समूह से अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 15 एमएलडी क्षमता का सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित और संचालित किया है।

और जबकि, इससे पहले एसपीवी को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत संख्या सीटीओडब्ल्यू/नवीनीकरण/एलडीएच3/2022/18251904 दिनांक 05.07.2022 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संख्या सीटीओए/विविध/एलडीएच3/2023/20380901 दिनांक 25.04.2023 के तहत बहादुरके रोड, लुधियाना में स्थित डाइंग उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार के लिए 15 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी को संचालित करने के लिए संचालन करने की सहमति दी गई थी, दोनों सहमतियां क्रमशः 04.01.2023 और 31.03.2024 को समाप्त हो गई थीं।

और जबकि, 15 एमएलडी क्षमता के एसपीवी की स्थापना और कमीशनिंग के बाद से, बोर्ड द्वारा समय-समय पर पर्यावरण कानूनों, विशेष रूप से जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए नोटिस, अनुरोध, अनुस्मारक जारी करने और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष

सुनवाई के अवसर प्रदान करने के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। बोर्ड के अधिकारी सीईटीपी के कमीशनिंग के बाद से कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की मासिक निगरानी भी कर रहे हैं।

और जबकि, एसपीवी, बीकेटीकेए को सीईटीपी-15 एमएलडी के अंतिम आउटलेट पर अपशिष्ट निर्वहन मानकों को प्राप्त न करने के लिए 1988 में संशोधित जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत 15.06.2023 को बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था। एसपीवी और बोर्ड के अधिकारियों के अभ्यावेदन सुनने और मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद, बोर्ड के अध्यक्ष ने निम्नानुसार निर्णय लिया है:

1. एसपीवी सीईटीपी के उन्नयन और संवर्द्धन के लिए समयबद्ध प्रस्ताव पीईआरटी चार्ट के साथ प्रस्तुत करेगा ताकि निर्धारित मानकों के साथ-साथ इस सीईटीपी के लिए सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के अनुमोदन के समय मूल्यांकित डीपीआर में उल्लिखित मानकों को 30 दिनों के भीतर प्राप्त किया जा सके।
2. एसपीवी को सीईटीपी को जेडएलडी में अपग्रेड करने के दूसरे चरण के लिए समयबद्ध प्रस्ताव पीईआरटी चार्ट के साथ 30 दिनों के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
3. एसपीवी, स्रोत पर विभिन्न प्रदूषकों की सांद्रता को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा, जिसमें जहां भी आवश्यक हो, सदस्य इकाइयों में पूर्व उपचार शामिल है, ताकि सीईटीपी में डीआर के इनलेट मानकों को पूरा किया जा सके और सदस्य इकाइयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
4. सीईटीपी के उन्नयन तक, एसपीवी मौजूदा सीईटीपी को अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ पर्याप्त और कुशलतापूर्वक संचालित करेगा ताकि निर्धारित मानकों को प्राप्त किया जा सके।
5. एसपीवी वांछित मानकों के साथ-साथ दृश्य संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए सीईटीपी के अंतिम आउटलेट पर रंग हटाने पर भी काम करेगा।
6. एसपीवी को इसी की कटौती के बाद शेष राशि यानी  $(2,40,00,000 - 77,62,500 = 1,62,37,500)$  रुपये 1,62,37,500/- की निष्पादन बैंक गारंटी 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
7. एसपीवी को एक महीने के भीतर इनटेक सप्लाई (सबमर्सिबल पंप/एमसी सप्लाई/अन्य स्रोत) पर सभी सदस्य इकाइयों के साथ एससीएडीए सक्षम फ्लो मीटर स्थापित करने होंगे, जिसमें सीईटीपी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से कनेक्टिविटी और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक पहुंच हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा अपशिष्टों का कोई बाईपास संचालित नहीं किया जा

रहा है। ऑनलाइन मीटर की स्थापना तक, उद्योग को इन्टेक सप्लाई पर ईएमएफ या मैकेनिकल मीटर रखना होगा, जिसका रिकॉर्ड दिन-प्रतिदिन बनाए रखना होगा।

8. एसपीवी को एक माह के भीतर बुढ़ा नाला की ओर जाने वाले अपने अंतिम आउटलेट पर फ्लो मीटर, सीसीटीवी कैमरे और ऑनलाइन मॉनिटरिंग तंत्र उपलब्ध कराना होगा।

9. 20.04.2022 से 11.05.2023 (अंतिम सैंपलिंग की तिथि) की अवधि के लिए पर्यावरण मुआवजा एसपी पर सीईटी को ठीक से और कुशलता से संचालित नहीं करने के कारण लगाया जाएगा, जिसके चलते परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। क्षेत्रीय कार्यालय-3, लुधियाना को पर्यावरण मुआवजे की राशि की गणना करनी होगी और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10. एसपीवी (सीईटीपी 15 एमएलडी, बहादुर के रोड, लुधियाना) और इसके निदेशकों (मैसर्स बहादुर के टेक्स्टाइल एंड निटवियर एसोसिएशन (एसपीवी) के साथ-साथ सीईटीपी ऑपरेटर के खिलाफ सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।

और जबकि, एसपीवी ने क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 06 तक उपर्युक्त सुनवाई के निर्णयों का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि एसपीवी ने न तो जेडएलडी को अपनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और न ही ईसी की कटौती के बाद शेष राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।

और जबकि, बहादुरके क्लस्टर के डाइंग उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार के लिए बहादुरके रोड, लुधियाना में स्थापित 15 एमएलडी क्षमता का सीईटीपी जुलाई 2020 से पूरी तरह चालू है और सीईटीपी की मासिक आधार पर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। सीईटीपी अपने चालू होने के बाद से सीईटीपी के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित कड़े निर्वहन मानकों को प्राप्त करने में विफल रहा है।

और जबकि, एसपीवी ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संचालन हेतु सहमति के नवीकरण के लिए आवेदन किया था और तदनुसार, सीईटीपी 15 एमएलडी का बोर्ड के अधिकारी द्वारा 11.04.2024 को दौरा किया गया और निम्नानुसार पाया गया:

1. सदस्य रंगाई संयंत्र से उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार के लिए सीईटीपी का संचालन किया जा रहा था। डीएफ भी लाइन में था और परिचालन में था।

2. सीईटीपी ने हाल ही में 02 मौजूदा स्लज सेंट्रीफ्यूज पंपों के साथ 03 नई स्लज डी-वाटरिंग मशीनें जोड़ी हैं और ये नई स्थापित 03 मशीनें चालू हैं और मौजूदा 02 स्टैंडबाय मोड में हैं।
3. हाल ही में जोड़ा गया 01 लकड़ी से जलने वाला बॉयलर जिसकी क्षमता 01टीपीएच है, एपीसीडी के रूप में साइक्लोन सेपरेटर के साथ स्टीम पैडलर ड्रायर भी प्रचालन में है।
4. निरीक्षण के दौरान अपशिष्ट को एकत्रित कर विश्लेषण के लिए बोर्ड की प्रयोगशाला में भेजा गया, विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार सीईटीपी, एक पैरामीटर अर्थात टीडीएस को छोड़कर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों को प्राप्त कर रहा है, लेकिन यह बोर्ड द्वारा निर्धारित कड़े उत्सर्जन मानकों को प्राप्त करने में विफल रहा है।
5. सीईटीपी वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

और जबकि, एसपीवी दिनांक 16.06.2023 की व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने और कठोर अपशिष्ट निर्वहन मानकों को प्राप्त करने में विफल रही है। इस प्रकार, एसपीवी को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।

और जबकि, एसपीवी को शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) पर आधारित सीईटीपी की स्थापना के लिए 08.12.2014 के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद 03.03.2016 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सीईटीपी पर मूल्यांकन समिति की अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि एसपीवी पहले चरण में पारंपरिक उपचार पद्धति पर आधारित सीईटीपी स्थापित करेगी और दूसरे चरण में जेडएलडी को अपना सकती है। उक्त बैठक के कार्यवृत्त 18.03.2016 के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र के माध्यम से जारी किए गए, लेकिन एसपीवी ने आज तक दूसरे चरण यानी जेडएलडी को अपनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

और जबकि, एसपीवी ने बोर्ड के निम्नलिखित निर्णयों के विरुद्ध विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार के अपीलीय प्राधिकरण-सह-सचिव के समक्ष अपील दायर की है:

1. दिनांक 08.10.2021 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार एसपीवी को 01 करोड़ रुपये की पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई।
2. बोर्ड के दिनांक 4.10.2022 के आदेश संख्या 335 के तहत एसपीवी को 77.625 लाख रुपये की पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई।

3. एसपीवी से 2.4 करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करने के बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध।

और जबकि, एसपीवी द्वारा दायर उपरोक्त अपीलों पर पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग के अपीलीय प्राधिकरण-सह-सचिव द्वारा दिनांक 20.05.2024 के आदेशों के तहत निर्णय लिया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया।

एसपीवी द्वारा 1 करोड़ रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) पहले ही जमा कर दी गई है और एसपीवी द्वारा पहले जमा की गई 2.4 करोड़ रुपये की परफॉरमेंस बैंक गारंटी की राशि से 77.625 लाख रुपये की ईसी राशि वसूल की गई है। हालांकि, एसपीवी ने बोर्ड द्वारा ईसी राशि 77.625 लाख रुपये यानी  $(2,40,00,000 - 77,62,500 = 1,62,37,500)$  की कटौती के बाद शेष राशि की परफॉरमेंस बैंक गारंटी जमा नहीं की है। इस बीजी के खिलाफ एसपीवी द्वारा दायर अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। और जबकि, एसपीवी सक्षम प्राधिकरण के निर्णयों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

और जबकि, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत संचालन के लिए सहमति से इनकार करने के लिए एसपीवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष 09.07.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, जिसे 12.07.2024 तक स्थगित किया गया, 16.07.2024 तक स्थगित किया गया और 23.07.2024 तक स्थगित किया गया। एसपीवी की ओर से कोई भी सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। एसपीवी के अनुरोध पर विचार करते हुए, सुनवाई को आगे 09.08.2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालाँकि, एसपीवी की ओर से कोई भी 09.08.2024 को फिर से सुनवाई में शामिल नहीं हुआ।

और जबकि, एसपीवी के कार्य और आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कि एसपीवी सीईटीपी की ओर से रिपोर्ट किए गए मुद्दों/उल्लंघनों को हल करने के लिए गंभीर नहीं है और एसपीवी पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों के कार्यान्वयन से बचने के लिए बोर्ड द्वारा दी जा रही सुनवाई में भाग नहीं ले रहा है। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, बोर्ड के अध्यक्ष ने एकतरफा कार्यवाही करने का फैसला किया और निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत एसपीवी द्वारा प्रवर्तित संचालन की सहमति को एकपक्षीय निर्णय के रूप में अस्वीकार किया जाए।

2. सीईटीपी द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने हेतु जल अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी करने के लिए नोटिस जारी किया जाए, जिसमें एसपीवी के

जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, एसपीवी के बैंक खाते के लेन-देन को तुरंत प्रभाव से रोकना, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत के आधार पर उचित पर्यावरणीय मुआवजा लगाना और मौजूदा सीईटीपी को जेडएलडी में अपग्रेड करना शामिल हो सकता है, बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर सहित एसपीवी को जारी किया जाए।

और जबकि, बोर्ड के पत्र संख्या 5336-37 दिनांक 29.08.2024 के तहत कार्यवाही एसपीवी को सूचित कर दी गई थी।

और जबकि, सुनवाई के निर्णयों के अनुपालन में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत परिचालन हेतु सहमति देने से दिनांक 30.08.2024 के आदेश संख्या सीटीओडब्ल्यू/नवीनीकरण/एलडीएच3/2024/25302219 के तहत इनकार कर दिया गया था।

और जबकि, केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) के निर्देशों के अनुपालन में, सीपीसीबी ने 02.04.2024 को बुद्धा नाला और सतलुज नदी का निरीक्षण और निगरानी की है। सीपीसीबी ने लुधियाना में स्थित 04 सीईटीपीएस का भी निरीक्षण किया है।

22.04.2024 को लुधियाना के चार सीईटीपी द्वारा गैर-अनुपालन के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(बी) के तहत निर्देश जारी किए। सीपीसीबी की टीम ने 15 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी का दौरा किया और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

1. 22.04.2024 को किए गए दौरों के दौरान, सीईटीपी को 11.26 एमएलडी की प्रवाह दर के साथ चालू पाया गया। सीईटीपी समर्पित भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से अपशिष्ट प्राप्त करता है और इसका उपचार अनुक्रमिक बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित है। यह बताया गया कि सीईटीपी उपचारित अपशिष्ट को सीईटीपी से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से बुद्ध नाला (जो सतलुज नदी से मिलता है) में छोड़ रहा है। हालांकि, 08.12.2014 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईसी के अनुसार, सीईटीपी को एक शून्य तरल निर्वहन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।
2. 15 एमएलडी सीईटीपी के संचालन के लिए वायु अधिनियम, 1981 के तहत सहमति 31.03.2025 तक वैध है। हालांकि, जल अधिनियम, 1974 के तहत सहमति 04.01.2023 तक वैध थी और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण 04.10.2022 तक वैध था, जिसके लिए सीईटीपी ने पीपीसीबी को नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।

3. दौरे के दौरान टीम को बताया गया कि 36 रंगाई/छपाई/धुलाई इकाइयों ने सीईटीपी से सदस्यता प्राप्त कर ली है और सीईटीपी से जुड़ गई हैं।

4. निगरानी के दौरान सीईटीपी से गैब नमूने एकत्र किए गए। सीईटीपी आउटलेट से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि बी ओडी: 243 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 30 मिलीग्राम/लीटर), सीओडी: 587 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 250 मिलीग्राम/लीटर), क्लोराइड: 1904 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 1000 मिलीग्राम/लीटर) और सल्फाइड: 16 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 2 मिलीग्राम/लीटर) सीईटीपी के लिए अधिसूचित अपशिष्ट निर्वहन मानकों से अधिक है। शेष निगरानी किए गए पैरामीटर निर्धारित मानकों के भीतर पाए गए।

5. इसके अलावा, एमएलएसएस और एमएलवीएसएस के लिए सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर) टैंक से गैब नमूने एकत्र किए गए। नमूना विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि एमएलएसएस की सांद्रता: 2639 मिलीग्राम/लीटर (डिज़ाइन किया गया मान: 4840 मिलीग्राम/लीटर) और एमएलवीएसएस की सांद्रता: 1179 मिलीग्राम/लीटर (डिज़ाइन किया गया मान: 3872 मिलीग्राम/लीटर) डिज़ाइन किए गए मानों से कम है, जो एसबीआर के खराब संचालन को दर्शाता है।

6. सीईटीपी ने पी.पी.सी.बी. और सी.पी.सी.बी. सर्वर से कनेक्टिविटी के साथ पी.एच., टी.एस.एस., सी.ओ.डी., बी.ओ.डी. के मापदंडों के लिए उपचारित अपशिष्ट के अंतिम आउटलेट पर ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओ.सी.ई.एम.एस.) स्थापित की है। दौरे के दौरान, ओ.सी.ई.एम.एस. चालू पाया गया और निगरानी परिणामों की तुलना में ओ.सी.ई.एम.एस. रीडिंग में भिन्नता भी रिपोर्ट की गई जो ओ.सी.ई.एम.एस. प्रणाली के अनुचित कामकाज/सत्यापन/अंशांकन को इंगित करता है।

7. दौरे के दौरान, यह देखा गया कि सीईटीपी ने स्लज भंडारण सुविधा प्रदान की है और स्लज के निपटान के लिए मेसर्स री-सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड (मेसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड) से सदस्यता प्राप्त की है। सीईटीपी ने टीएसडीएफ के माध्यम से 02.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान 602.685 मीट्रिक टन स्लज का निपटान किया था।

और चूंकि, एसपीवी जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।

और जबकि, पर्यावरण अभियंता, आंचलिक कार्यालय-2, लुधियाना ने बताया कि 22.04.2024 को अपने दौरे पर डाइंग इकाइयों के लिए स्थापित लुधियाना के सीईटीपी के संचालन में सीपीसीबी द्वारा देखी गई कमियों के मद्देनजर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 12.08.2024 के पत्र के माध्यम से जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18/1(बी) के तहत पर्यावरण

मुआवजा लगाने सहित उचित कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि सीईटीपी का संचालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए:

क) उपचार प्रणाली का उचित तरीके से संचालन/संवर्द्धन, ताकि निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके और 03.05.2013 और 08.12.2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन किया जा सके। उपरोक्त 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी सीईटीपीएस में उपचारित अपशिष्ट को बुढ़ा नाला में छोड़ने से रोका जाएगा।

ख) जल अधिनियम, 1974 के तहत वैध सहमति / पीपीसीबी से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण और उसमें उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन।

ग) आपूर्तिकर्ताओं की मानक संचालन प्रक्रियाओं/सिफारिशों के अनुसार ओसीईएमएस विश्लेषकों का नियमित अंशांकन, रखरखाव और सत्यापन करना, ताकि निरंतर और विश्वसनीय डेटा का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

और जबकि, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिया गया था:

क. दिनांक 03.05.2013 और 08.12.2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के अनुसार संबंधित सीईटीपी के लिए निपटान की शर्तें निर्धारित करना।

ख. दिनांक 01.01.2016 की सीईटीपी अधिसूचना के अनुसार सीईटीपी के लिए इनलेट मानकों को निर्धारित करना।

ग. व्यक्तिगत सदस्य उद्योग द्वारा पीईटीपी/ईटीपी का उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सीईटीपी के सदस्य उद्योगों का नियमित रूप से सत्यापन करना।

और जबकि, 1988 में संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी करने के लिए एसपीवी को नोटिस जारी किया गया था और बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष 13.09.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, जिसे 18.09.2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

और जबकि, एसपीवी (15 एमएलडी का सीईटीपी) के निदेशक श्री ललित जैन और माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री आई के कपिला ने सुनवाई में भाग लिया और एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि हालांकि एसपीवी द्वारा जेडएलडी आधारित उपचार के लिए ईसी प्राप्त किया गया था लेकिन बाद में परियोजना की कल्पना एसबीआर आधारित माध्यमिक स्तर के उपचार पर की गई थी। प्रतिनिधियों ने आगे तर्क दिया कि 40 एमएलडी और 50 एमएलडी क्षमता के अन्य दो सीईटीपी को जेडएलडी स्तर के उपचार के लिए किसी शर्त / आवश्यकता के बिना विधिवत मंजूरी दी गई थी। 16.06.2023 को बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एसपीवी को दी गई व्यक्तिगत सुनवाई के निर्णय के अनुसार बैंक गारंटी जमा करने के संबंध में, प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि एसपीवी ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करके उक्त निर्णय को चुनौती दी है प्रतिनिधियों ने सीपीसीबी द्वारा बताई गई तकनीकी टिप्पणियों से असहमति जताई और उन्हें एसपीवी के लिए स्वीकार्य नहीं पाया और इस रिपोर्ट के आधार पर एसपीवी को दंडित न करने पर जोर दिया। प्रतिनिधियों ने आगे बताया कि एसपीवी ने बोर्ड के पास जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत संचालन की सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

और जबकि, सुनवाई के दौरान सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि बोर्ड द्वारा एस.पी.वी. को लगातार सी.ई.टी.पी. को ई.सी. शर्तों के अनुरूप जेड.एल.डी. तकनीक में अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इस प्रकार बुद्ध नाले में अपना अपशिष्ट नहीं बहाया जा रहा है। हालांकि, एस.पी.वी. ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। लुधियाना शहर को विभिन्न कारणों से गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है और इसका एक कारण पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों की गतिविधियाँ हैं। हालाँकि बोर्ड ने ई.सी. और प्रदर्शन बैंक गारंटी लगाई है, लेकिन एस.पी.वी. अभी भी जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।

और जबकि, एसपीवी के प्रतिनिधि कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। सुनवाई के दौरान उठाई गई टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा।

और जबकि, विस्तृत विचार-विमर्श और एसपीवी के प्रतिनिधियों, बोर्ड के अधिकारियों की सुनवाई के बाद और मुद्दे की गंभीरता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के अध्यक्ष ने पाया कि बुद्ध नाले में अपशिष्ट के निर्वहन को रोकने का उद्देश्य निर्देश जारी किए बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। बहादुरके रोड, लुधियाना में 15 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी का संचालन करने वाले एसपीवी को उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के प्रावधानों को लागू करने का यह एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, बोर्ड के अध्यक्ष ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-

ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी के एसपीवी को निम्नलिखित निर्देश जारी करने का फैसला किया:

1. एसपीवी यह सुनिश्चित करेगा कि सीईटीपी की उपचार प्रणाली का संचालन/संवर्द्धन उचित रूप से किया जाए, ताकि निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.12.2014 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

2. एसपीवी को 15 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी से बुद्ध नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट को तुरंत रोकना होगा।

और जबकि, सुनवाई की कार्यवाही उद्योग को दिनांक 25.09.2024 के आदेश संख्या 5798-99 के माध्यम से सूचित कर दी गई थी।

अब, इसलिए, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी, 1988 में संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

1. यह कि, एसपीवी यह सुनिश्चित करेगा कि सीईटीपी की उपचार प्रणाली का संचालन/संवर्द्धन उचित रूप से किया जाए, ताकि निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.12.2014 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

2. यह कि, एसपीवी 15 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी से बुद्ध नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में अपशिष्ट के निर्वहन को तुरंत रोक देगा।

उपर्युक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में, आप 1988 में संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और की ओर से

इएनडी सं. 5804

दिनांक 25/09/24.

उपरोक्त की एक प्रति पर्यावरण अभियंता, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय-3, लुधियाना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के संबंध में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और की ओर से

**पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

जोनल ऑफिस-1, ई-648-बी, फेज-V, फोकल प्वाइंट, लुधियाना

टेलीफ़ैक्स: 0161-4673789 वेबसाइट:- [www.ppcb.gov.in](http://www.ppcb.gov.in)

ईमेल:- ppcbzo1ldh@gmail.com

क्रमांक 5642

स्पीड पोस्ट/ऑनलाइन

दिनांक 26/09/24

सेवा में,

मेसर्स पंजाब डायर्स एसोसिएशन (फोकल प्वाइंट मॉड्यूल),

8.65 एकड़ भूमि, ताजपुर रोड, जमालपुर अवाना,

लुधियाना।

**विषय:** जल अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी करने के नोटिस के साथ-साथ जल अधिनियम, 1974 के तहत दी गई संचालन की सहमति को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस और पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाने के नोटिस के संबंध में 18.09.2024 को बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष दी गई व्यक्तिगत सुनवाई की कार्यवाही।

निम्नलिखित उपस्थित थे:

**पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से**

ई.आर. जी.एस. मजीठिया, सदस्य सचिव, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई.आर. प्रदीप गुप्ता, मुख्य पर्यावरण अभियंता, लुधियाना

ई.आर. रविंदर भट्टी, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, जोनल कार्यालय-1, लुधियाना

ई.आर. प्रदीप बालू, अतिरिक्त. वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, जोनल कार्यालय-1, लुधियाना

## सीईटीपी की ओर से

सुनवाई में कोई शामिल नहीं हुआ।

वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर, क्षेत्रीय कार्यालय-1, लुधियाना ने बताया कि पंजाब डायर्स एसोसिएशन (पीडीए) को पहले जल अधिनियम, 1974 के तहत सहमति दी गई थी, जिसके अनुसार सीटीओडब्ल्यू/नवीनीकरण/एलडीएच1/2024/23519336 दिनांक 28.06.2024, जो 30.06.2026 तक वैध है, 40 एमएलडी (फोकल प्वाइंट मॉड्यूल) के सीईटीपी के माध्यम से उपचार के बाद बुड़ढा नाले में व्यापारिक अपशिष्ट और सेप्टिक टैंक के माध्यम से वृक्षारोपण के लिए भूमि पर घरेलू अपशिष्ट को छोड़ने के लिए।

एसपीवी को पहले 12.06.2023 को बोर्ड के चेयरमैन के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सर्वोत्तम मूल्यांकन और निर्णय के आधार पर, एसपीवी द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए एसपीवी (सीईटीपी 40 एमएलडी, फोकल प्वाइंट मॉड्यूल) पर 75 लाख रुपये (पचहत्तर लाख) की पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) की अंतरिम राशि लगाई जाए और एसपीवी इसे एक सप्ताह के भीतर पर्यावरण इंजीनियर, क्षेत्रीय कार्यालय-4, लुधियाना के कार्यालय में तुरंत जमा कराएगा।

सीईटीपी ने पर्यावरण मुआवजा राशि 40 लाख रुपये आरआरआर 1722355084065 दिनांक 21.06.2023 और 35 लाख रुपये आरआरआर 1732355120611 दिनांक 22.06.2023 के तहत जमा कर दी है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पीपीसीबी अधिकारियों के साथ मिलकर 22-23 अप्रैल, 2024 के दौरान लुधियाना स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी-40 एमएलडी फोकल प्वाइंट मॉड्यूल) का संयुक्त निरीक्षण किया ताकि अनुपालन स्थिति की पुष्टि की जा सके। टीम की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

1. सीईटीपी को फोकल प्वाइंट (चरण 1 से 08) पर स्थित रंगई और छपाई इकाइयों से उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार के लिए 40 एमएलडी क्षमता के उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि, वर्तमान में, सीईटीपी 29.00 एमएलडी प्रवाह दर पर संचालित होता है। सीईटीपी अपनी क्षमता का 73% उपयोग कर रहा है।
2. सीईटीपी सदस्य इकाइयों से सीईटीपी तक समर्पित भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से अपशिष्ट प्राप्त करता है।
3. जैसा कि सीईटीपी ऑपरेटर द्वारा सूचित किया गया है, सीईटीपी इनलेट को उपचार के लिए भेजने से पहले व्यक्तिगत सदस्य इकाई स्तर पर पूर्व-उपचार प्रणाली स्थापित नहीं की गई है।

4. टीम ने पाया कि सीईटीपी संचालक ने इनलेट रिसीविंग चैम्बर, इक्वलाइजेशन टैंक के आउटलेट और सीईटीपी के अंतिम आउटलेट के स्थानों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर स्थापित किया है।

5. सीईटीपी भौतिक-रासायनिक और उसके बाद जैविक (एसबीआर) प्रक्रिया पर आधारित है। सीईटीपी में रिसीविंग चैंबर (20.83 वर्ग मीटर) > मोटे स्क्रीन (मैकेनिकल मैनुअल) कच्चा अपशिष्ट संग्रह नाबदान (416.670 वर्ग मीटर) > स्टिलिंग चैंबर (20.830 वर्ग मीटर) > फाइन स्क्रीन (मैकेनिकल + मैनुअल) मैनुअल ग्रिट चैंबर (2 नंबर, 81.0 वर्ग मीटर) > तेल और ग्रीस स्किमर > इक्वलाइजेशन टैंक (20040 वर्ग मीटर) > पीएच सुधार टैंक-1 (555.560 वर्ग मीटर चूना और एफईएसओ4, खुराक, आरटी-20 मिनट) > स्लज ब्लैंकेट क्लेरिफायर (3721.374 वर्ग मीटर, पॉली खुराक, आरटी-2.23 घंटे) > पीएच सुधार टैंक-II (138.890 m<sup>3</sup>, RT-5 मिनट) > एसबीआर बेसिन (04), क्लोरीन संपर्क टैंक (833.33 m<sup>3</sup>, RT-30 मिनट) उपचारित अपशिष्ट निपटान > सेंट्रीफ्यूज > ड्रायर।

6. सीईटीपी के अंतिम आउटलेट, इक्वलाइजेशन टैंक से एकत्रित नमूनों के नमूना विश्लेषण परिणाम नीचे सारणीबद्ध हैं:

पैरामीटर	नमूना लेने के स्थान		मानक
	समतुल्यकरण टैंक का इनलेट	सीईटीपी का फाइनल आउटलेट	
पीएच	8.2	8.3	6-9
टीएसएस	181	28	100
टीडीएस	4972	4636	--
क्लोराइड	2551	2284	1000
फ्लोराइड	1.1	0.9	2
सल्फेट	295	461	1000
सल्फाइड	--	2.4	2

फॉस्फेट पी के रूप में	0.7	0.20	5
अमोनिकल नाइट्रोजन	15	04	50
नाइट्रेट-एन	9.3	4.7	10
टीकेएन	20	06	50
फिनोल (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	0.2	0.1	1
तेल और ग्रीस	-	BDL	10
बीडीएल	376	54	30
बीओडी	943	262	250

pH को छोड़कर सभी मान mg/l में हैं

7. उपरोक्त विश्लेषण परिणामों से यह स्पष्ट है कि सीईटीपी बीओडी, सीओडी, सल्फाइड और क्लोराइड के संबंध में निर्धारित एमओईएफ और सीसी उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

8. निगरानी के दौरान, एसबीआर बेसिन में बायोमास सांद्रता क्रमशः एमएलएसएस 4661 मिलीग्राम/ली (डिजाइन की गई सीमा 5000-7000 मिलीग्राम/ली के मुकाबले) एमएलवीएसएस 3000 मिलीग्राम/ली (डिजाइन की गई सीमा 3500-4200 मिलीग्राम/ली के मुकाबले) थी।

9. एम.एल.एस.एस. और एम.एल.वी.एस.एस. डिजाइन की गई सीमा से कम पाए गए, जो जैविक प्रणाली के खराब संचालन को इंगित करता है।

10. टीम ने निर्धारित मानदंडों की पुष्टि करने के लिए सीईटीपी के इनलेट और अंतिम आउटलेट से भारी धातुओं के नमूने एकत्र किए। भारी धातु के नमूनों के विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

नमूने का स्थान	नमूने का कोड	टी-सीआर	सीडी	सीयू	एमएन	पीबी	जेडएन	एनआई	एस
समतुल्यकरण टैंक का इनलेट	40 ए1	0.034	BDL	0.081	0.117	BDL	0.151	0.01	BDL

सीईटीपी का फाइनल आउटलेट	40 A6	BDL	BDL	1.108	0.107	BDL	0.015	0.005	BDL
निर्धारित मानदंड		02	0.05	03	02	0.1	05	03	0.2

**pH को छोड़कर सभी मान mg/l में हैं**

11. भारी धातुओं के विश्लेषण के परिणामों से पता चला कि सीईटीपी निर्धारित अपशिष्ट मानदंडों का अनुपालन कर रहा है।

12. सीईटीपी के इनलेट और अंतिम आउटलेट पर ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली ओसीईएमएस स्थापित की गई है, ताकि प्रवाह और प्रवाह अपशिष्ट जल की गुणवत्ता को मापा जा सके। निरीक्षण के दिन, सीईटीपी के इनलेट और अंतिम आउटलेट पर ओसीईएमएस चालू पाए गए। सीईटीपी ऑपरेटर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंतिम आउटलेट का ओसीईएमएस पीपीसीबी/सीपीसीबी सर्वर से जुड़ा हुआ है। सैंपलिंग के समय अंतिम आउटलेट ओसीएमईएस मान देखे गए। ऑनलाइन डेटा और प्रयोगशाला विश्लेषण डेटा के बीच सापेक्ष अंतर नीचे प्रस्तुत किया गया है:

नमूने का स्थान	विश्लेषण परिणाम	दिनांक/समय	मानदंड			
		12.00	pH	TSS	COD	BOD
सीईटीपी का अंतिम आउटलेट	लैब डेटा	22/04/2024	8.3	28	262	54
	आनलाइन डेटा	22/04/2024	7.9	46	188	25.7
लैब डेटा के संबंध में अंतर का प्रतिशत			(-)5.06	(+)64.28	(-)28.24	-52.40

13. ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम पर पीएच, बीओडी, सीओडी के दर्ज मूल्य प्रयोगशाला विश्लेषण डेटा से कम हैं, हालांकि, टीएसएस का मूल्य प्रयोगशाला विश्लेषण डेटा से अधिक है। इसके अलावा सीपीसीबी द्वारा यह बताया गया है कि सीईटीपी ने पीपीसीबी और सीपीसीबी सर्वर से कनेक्टिविटी के साथ पीएच, टीएसएस, सीओडी, बीओडी मापदंडों के लिए उपचारित अपशिष्ट के अंतिम आउटलेट पर ऑनलाइन निरंतर अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित की है। दौरे के दौरान, ओसीईएमएस चालू पाया गया और मॉनिटर किए गए परिणामों की तुलना में ओसीईएमएस रीडिंग में भिन्नता भी रिपोर्ट की गई जो ओसीईएमएस प्रणाली के अनुचित कामकाज/सत्यापन/अंशांकन को इंगित करता है।

14. जैसा कि सीईटीपी संचालक द्वारा बताया गया है कि एसबीआर बेसिन से उत्पन्न बायो स्लज को बायो-स्लज सम्प में एकत्र किया जाता है और इसे आगे डीवाटरिंग के लिए सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है जबकि स्लज ब्लैंकेट क्लेरिफायर से उत्पन्न केमिकल स्लज को केमिकल स्लज सम्प में एकत्र किया जाता है और इसे डीवाटरिंग के लिए सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। डिक्क्टर के फिल्टर को आगे के उपचार के लिए पीएच करेक्शन टैंक -1 में भेजा जाता है।

15. दौरे के समय, टीम ने पाया कि सीईटीपी ने सीईटीपी स्लज के भंडारण के लिए शेड बनाया है। लॉग बुक रिकॉर्ड के अनुसार (वित्त वर्ष 23-24) के दौरान 3517.235 मीट्रिक टन सीईटीपी स्लज को अंतिम निपटान के लिए टीएसडीएफ मेसर्स रीसस्टेनेबिलिटी लिमिटेड (मेसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड) को भेजा गया था।

16. जारी की गई ईसी (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 13/05/2013) के अनुसार विशेष नियम एवं शर्तों में उल्लेख किया गया है कि सीईटीपी को बुढ़ा नाले में नहीं डालना चाहिए। हालांकि, सीईटीपी से निकलने वाले उपचारित अपशिष्ट को 1 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से बुढ़ा नाले में डाला जाता है। बुढ़ा नाला अंततः सतलुज नदी में मिल जाता है।

[illegible]

अमीनो नाइट्रेड	2.5	4.7	5.4	BDL	3.4	2.8	2.8	1.2	BDL	1.6	50	2
एसए आर	32.5	34	36.16	41	20.9	36.0	25.8	BDL	BDL	BDL	-	-
कुल क्रोमिय म	BDL	BDL	BDL	0.14	0.15	BDL	BDL	379	180	292	-	-
आरण ससी	7.36	7.92	8.8	7.84	6.36	6.8	6.96	2	0.44	0.3	-	-
बायो- ऐश	96 घंटे में 100 % अपशि ष्ट में 90% मछ लियाँ जीवि त रही	96 घंटे में 100 % अपशि ष्ट में शिष्ट में मछ लियाँ जीवि त का 100 % जीवि त रहना	96 घंटे में 100% अपशिष्ट में मछलियों का 100% जीवित रहना	96 घंटे में 100% अपशिष्ट में मछलियों का 100% जीवित रहना	96 घंटे में 100% अपशिष्ट में मछलियों का 100% जीवित रहना	96 घंटे में 100% अपशिष्ट में मछलियों का 100% जीवित रहना	96 घंटे में 100% अपशिष्ट में मछलियों का 100% जीवित रहना	96 घंटे में 100% अपशिष्ट में मछलियों का 90% जीवित रहना	96 घंटे में 100% अपशिष्ट में मछलियों का 90% जीवित रहना	96 घंटे में 100% अपशिष्ट में मछलियों का 70% जीवित रहना	96 घंटे में 100% अपशिष्ट में मछलियों का 90% जीवि त रहना	

सीपीसीबी ने अपने पत्र संख्या 3471 दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को पर्यावरण मुआवजा लगाने सहित उचित कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि सीईटीपी का संचालन ठीक से हो।

सुनिश्चित करना:

क. उपचार प्रणाली का उचित ढंग से संचालन/संवर्द्धन, ताकि निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.05.2013 और 08.12.2014 को जारी पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

उपरोक्त 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी सीईटीपी। इसके अलावा, एफओ एमएलडी सीईटीआर 40 एमएलडी सीईटीपी और 15 एमएलडी जीईटीपीएस से बुद्ध मल्लाह में उपचारित अपशिष्ट का निर्वहन रोकने के लिए, उपरोक्त 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी सीईटीपी। इसके अलावा, 50 एमएलडी सीईटीपी, 40 एमएलडी सीईटीपी और 15 एमएलडी सीईटीपीएस से बुद्ध नाला में उपचारित अपशिष्ट के निर्वहन को रोकना।

ख. जल अधिनियम-1974 के तहत वैध सहमति / पीपीसीबी से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण और उसके उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करना।

ग. आपूर्तिकर्ताओं की मानक संचालन प्रक्रियाओं/सिफारिशों के अनुसार ओसीईएमएस विश्लेषकों का नियमित अंशांकन, रखरखाव और सत्यापन करना, ताकि निरंतर और विश्वसनीय डेटा का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, पीपीसीबी को यह भी निर्देश दिया जाता है:

क. दिनांक 03.05.2013 और 08.12.2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के अनुसार संबंधित सीईटीपी के लिए निपटान की शर्तें निर्धारित करना।

ख. दिनांक 01.01.2016 की सीईटीपी अधिसूचना के अनुसार सीईटीपी के लिए इनलेट मानक निर्धारित करना।

ग. व्यक्तिगत सदस्य उद्योग द्वारा पीईटीपी/ईटीपी का उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सीईटीपी के सदस्य उद्योगों का नियमित रूप से सत्यापन करना।

निची मंगली क्षेत्र में सड़क पर रंगाई अपशिष्ट के निर्वहन की रिपोर्ट करने वाली एक खबर के जवाब में 25.07.2024 को बोर्ड अधिकारियों और एमसी अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण भी किया गया था। निरीक्षण के दौरान, केवल वर्षा का पानी स्थिर पाया गया था। आसपास के क्षेत्र में फोकल प्वाइंट, निची मंगली, लुधियाना में स्थित 02 रंगाई उद्योग अर्थात् मेसर्स बीपीआर जिपर्स और मेसर्स पैसिफिक डायर्स की भी जाँच की गई, और उनके निर्वहन को समर्पित पीडीए सीवर लाइन में बहने की पुष्टि की गई। एमसीएल

अधिकारियों ने बताया कि रंगाई अपशिष्ट के उच्च दबाव के कारण पीडीए सीवर हौदी से रंगीन अपशिष्ट अस्थायी रूप से सड़क पर बह गया था। मामला पीडीए सीवर लाइन के ओवरफ्लो से संबंधित है।

पीडीए को सुनवाई के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

1. पीडीए द्वारा प्रत्येक रंगाई इकाई से निर्धारित प्रवाह दर को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई प्रणाली, ताकि अपशिष्ट के तत्काल और अचानक निर्वहन से बचा जा सके, जिससे समर्पित परिवहन लाइन अक्षम हो जाए।
2. सम्पूर्ण परिवहन लाइन प्रवाह मानचित्र, साथ ही ऊंचाई, पाइपलाइन का आकार और अन्य अपेक्षित विवरण, जिसमें फोकल प्वाइंट क्षेत्र से ताजपुर रोड स्थित सीईटीपी तक प्रवाह की स्पष्ट दिशा दर्शाई गई हो।
3. उपरोक्त दोनों इकाइयों के लिए निर्धारित प्रवाह दर, साथ ही निर्वहन का रिकार्ड तथा पिछले तीन महीनों की औसत प्रवाह दर।
4. उपरोक्त दोनों रंगाई इकाइयों के निष्कर्षण बिंदुओं पर स्थापित स्काडा प्रणाली द्वारा दर्ज डिस्चार्ज का रिकार्ड तथा पिछले तीन माह का रिकार्ड।

उपरोक्त के मददेनजर, सीईटीपी को जल अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, साथ ही जल अधिनियम, 1974 के तहत दी गई संचालन की सहमति को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस और पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसकी सुनवाई 13.09.2024 को बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष होगी, जिसे 18.09.2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन, सीईटीपी से कोई भी सुनवाई में शामिल नहीं हुआ।

सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि एसपीवी को इससे पहले 03.05.2013 को पर्यावरण मंत्रालय और पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा एक विशेष शर्त के साथ पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी कि बुढ़ा नाले में कोई निर्वहन नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा एसपीवी को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत अस्थायी रूप से दी गई संचालन की सहमति की शर्त के रूप में सिंचाई के लिए भूमि पर अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने के लिए प्रस्ताव / व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, साथ ही बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एसपीवी को दी गई विभिन्न सुनवाई में भी। लेकिन, एसपीवी इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहा है और इस प्रकार एसपीवी पर्यावरण मंत्रालय और पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त पर्यावरणीय मंजूरी के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा, जैसा कि समय-समय पर देखा गया है, एसपीवी पर जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, लेकिन एसपीवी अभी भी जल (प्रदूषण की रोकथाम

और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, जैसा कि सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है।

एसपीवी के प्रतिनिधियों ने न तो सुनवाई में भाग लिया और न ही कारण बताओ नोटिस में उठाई गई टिप्पणियों का लिखित में कोई जवाब दिया।

दी गई परिस्थितियों में, बोर्ड के पास मामले में एकपक्षीय कार्यवाही करने तथा सीईटीपी के अधिनियम और आचरण को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। ये निर्णय सीईटीपी के लिए बाध्यकारी होंगे तथा यदि सीईटीपी नीचे उल्लिखित निर्णयों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो बोर्ड द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विस्तृत विचार-विमर्श और बोर्ड के अधिकारियों की सुनवाई तथा मामले की गंभीरता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के अध्यक्ष ने पाया कि बुड़ढा नाले में अपशिष्ट जल के बहाव को रोकने का उद्देश्य निर्देश जारी किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह लुधियाना के ताजपुर रोड पर 40 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी का संचालन करने वाले एसपीवी को उचित निर्देश जारी करने के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के प्रावधानों को लागू करने का एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने 40 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी के एसपीवी को निम्नलिखित निर्देश जारी करने का निर्णय लिया:

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत दी गई परिचालन सहमति रद्द की जाए।
2. एसपीवी निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा करेगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.05.2013 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन करेगा।
3. एसपीवी को 40 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी से बुद्ध नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट को तुरंत रोकना होगा।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 40 एमएलडी सीईटीपी के एसपीवी को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी करने के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय-1, लुधियाना के संबंधित पर्यावरण अभियंता को भी उपरोक्त आदेश का समर्थन करके निम्नलिखित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है:

क. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बुड़ढा नाला में अपने अपशिष्ट को बहाकर एसपीवी द्वारा किए जा रहे निरंतर उल्लंघनों को ध्यान में

रखते हुए सीईटीपी की शुरुआत के बाद से पर्यावरणीय मुआवजे की गणना करना, बोर्ड द्वारा पहले से लगाए गए ईसी की अवधि/राशि और एसपीवी द्वारा जमा की गई राशि को समायोजित करके।

ख. उपर्युक्त निर्णयों का अनुपालन व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना तथा बिना किसी विलम्ब के अनुशंसाओं सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत सुनवाई के निर्णयों का निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन करें तथा अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करें।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से

इनडि सं.... 5643

दिनांक 26.09.24

कृपया उपरोक्त की एक प्रति सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, न्यू अर्जुन नगर, दिल्ली- 110032 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से

इनडि सं.... 5644

दिनांक 26.09.24

उपरोक्त की एक प्रति पर्यावरण अभियंता, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय-1, लुधियाना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

#### पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जोनल ऑफिस-II, ई-648-बी, बैंक साइड सीआईसीयू ऑफिस, फेज-5, फोकल प्वाइंट, लुधियाना

ई-मेल: [Seezo2ldhppcb@yahoo.com](mailto:Seezo2ldhppcb@yahoo.com)

फ़ोन नं. 0161-2670141

क्रमांक पीपीसीबी/एसईई/जेडओ-2/एलडीएच/2024/5798-99

पंजीकृत

दिनांक 2.5/09/24

सेवा में,

- 1) चेयरमैन, बहादुर के टेक्सटाइल एवं निटवियर एसोसिएशन (एसपीवी),  
मेसर्स आदिनाथ डाइंग एवं फिनिशिंग मिल्स, बहादुरके रोड,  
डाइंग कॉम्प्लेक्स, लुधियाना।

- 2) निदेशक, बहादुर के टेक्सटाइल एवं निटवियर एसोसिएशन (एसपीवी),  
सी/ओ मेसर्स श्री बालाजी फिनिशिंग  
मिल्स, बहादुरके रोड, डाइंग कॉम्प्लेक्स, लुधियाना।

**विषय:** 18.09.2024 को बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जैसा कि 1988 में संशोधित किया गया था, की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी करने के नोटिस के संबंध में दी गई व्यक्तिगत सुनवाई की कार्यवाही।

निम्नलिखित उपस्थित थे:

**पीपीसीबी की ओर से**

ईआर. जी.एस. मजीठिया, सदस्य सचिव

ईआर. प्रदीप गुप्ता, सीईई, लुधियाना

ईआर.-कुलदीप सिंह, एसईई, जेडओ-2, लुधियाना

ईआर. निखिल गुप्ता, ईई, जेडओ-2, लुधियाना

**एसपीवी की ओर से**

श्री ललित जैन, निदेशक

श्री आई.के.कपिला, अधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय भारत

पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय-2, लुधियाना ने बताया कि बहादुर के टेक्सटाइल निटवियर एसोसिएशन (सीईटीपी के लिए एसपीवी) ने लुधियाना में बहादुर के रोड पर स्थित कपड़ा रंगाई उद्योगों के समूह से अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 15 एमएलडी क्षमता का सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित और संचालित किया है।

इससे पहले एसपीवी को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत संख्या सीटीओडब्ल्यू/नवीनीकरण/एलडीएच3/2022/18251904 दिनांक 05.07.2027 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संख्या सीटीओए/विविध/एलडीएच3/2023/20380901 दिनांक 25.04.2023 के तहत बहादुरके रोड, लुधियाना में स्थित रंगाई उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार के

लिए 15 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी को संचालित करने के लिए संचालन करने की सहमति दी गई थी, दोनों सहमतियां क्रमशः 04.01.2023 और 31.03.2024 को समाप्त हो गई थीं।

स्थापना और कमीशनिंग के बाद से, 15 एमएलडी क्षमता के एसपीवी को पर्यावरण कानूनों, विशेष रूप से जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर नोटिस, अनुरोध, अनुस्मारक जारी करने और सक्षम प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

प्राधिकार: बोर्ड के अधिकारी सीईटीपी के चालू होने के बाद से कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की मासिक निगरानी भी कर रहे हैं।

सीईटीपी-15 एमएलडी के अंतिम आउटलेट पर अपशिष्ट निर्वहन मानकों को प्राप्त न करने के लिए एसपीवी, बीकेटीकेए को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जिसे 1988 में संशोधित किया गया था, की धारा 33-ए के तहत 16.06.2023 को बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का समय दिया गया था। एसपीवी और बोर्ड के अधिकारियों के अभ्यावेदन सुनने और मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद, बोर्ड के अध्यक्ष ने निम्नानुसार निर्णय लिया है:

1. एसपीवी सीईटीपी के उन्नयन और संवर्द्धन के लिए समयबद्ध प्रस्ताव पीईआरटी चार्ट के साथ प्रस्तुत करेगा ताकि निर्धारित मानकों के साथ-साथ इस सीईटीपी के लिए सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के अनुमोदन के समय मूल्यांकित डीपीआर में उल्लिखित मानकों को 30 दिनों के भीतर प्राप्त किया जा सके।
2. एसपीवी को सीईटीपी को जेडएलडी में अपग्रेड करने के दूसरे चरण के लिए समयबद्ध प्रस्ताव पीईआरटी चार्ट के साथ 30 दिनों के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
3. एसपीवी, स्रोत पर विभिन्न प्रदूषकों की सांद्रता को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा, जिसमें जहां भी आवश्यक हो, सदस्य इकाइयों में पूर्व उपचार शामिल है, ताकि सीईटीपी में डीआर के इनलेट मानकों को पूरा किया जा सके और सदस्य इकाइयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
4. सीईटीपी के उन्नयन तक, एसपीवी मौजूदा सीईटीपी को अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ पर्याप्त और कुशलतापूर्वक संचालित करेगा ताकि निर्धारित मानकों को प्राप्त किया जा सके।
5. एसपीवी वांछित मानकों के साथ-साथ दृश्य संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए सीईटीपी के अंतिम आउटलेट पर रंग हटाने पर भी काम करेगा।

6. एसपीवी को ईसी की कटौती के बाद शेष राशि यानी (2,40,00,000 - 77,62,500 = 1,62,37,500) रुपये 1,62,37,500/- की निष्पादन बैंक गारंटी 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

7. एसपीवी को एक महीने के भीतर इनटेक सप्लाई (सबमर्सिबल पंप/एमसी सप्लाई/अन्य स्रोत) पर सभी सदस्य इकाइयों के साथ SCADA सक्षम फ्लो मीटर स्थापित करने होंगे, जिसमें सीईटीपी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से कनेक्टिविटी और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक पहुंच हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा अपशिष्टों का कोई बाईपास संचालित नहीं किया जा रहा है। ऑनलाइन मीटर की स्थापना तक, उद्योग को इनटेक सप्लाई पर ईएमएफ या मैकेनिकल मीटर रखना होगा, जिसका रिकॉर्ड दिन-प्रतिदिन बनाए रखना होगा।

8. एसपीवी को एक माह के भीतर बुद्ध नाला की ओर जाने वाले अपने अंतिम आउटलेट पर फ्लो मीटर, सीसीटीवी कैमरे और ऑनलाइन मॉनिटरिंग तंत्र उपलब्ध कराना होगा।

9. 20.04.2022 से 11.05.2023 (अंतिम सैंपलिंग की तिथि) की अवधि के लिए पर्यावरण मुआवजा एसपी पर सीईटीपी को ठीक से और कुशलता से संचालित नहीं करने के कारण लगाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। क्षेत्रीय कार्यालय-3, लुधियाना को पर्यावरण मुआवजे की राशि की गणना करनी होगी और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10. एसपीवी (सीईटीपी 15 एमएलडी, बहादुर के रोड, लुधियाना) और इसके निदेशकों (मैसर्स बहादुर के टेक्सटाइल एंड निटवियर एसोसिएशन (एसपीवी) के साथ-साथ सीईटीपी ऑपरेटर के खिलाफ सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।

एसपीवी ने क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 06 तक उपर्युक्त सुनवाई के निर्णयों का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि एसपीवी ने न तो जेडएलडी को अपनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और न ही ईसी की कटौती के बाद शेष राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।

बहादुरके क्लस्टर के रंगाई उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार के लिए लुधियाना के बहादुरके रोड पर स्थापित 15 एमएलडी क्षमता का सीईटीपी जुलाई 2020 से पूरी तरह चालू है और सीईटीपी की मासिक आधार पर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। सीईटीपी अपने चालू होने के बाद से बोर्ड द्वारा सीईटीपी के लिए निर्धारित कड़े निर्वहन मानकों को प्राप्त करने में विफल रहा है।

एसपीवी ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संचालन के लिए सहमति के नवीनीकरण के लिए

आवेदन किया था और तदनुसार, सीईटीपी 15 एमएलडी का 11.04.2024 को बोर्ड के अधिकारी द्वारा दौरा किया गया और यह निम्नानुसार पाया गया:

1. सदस्य डाइंग उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार के लिए सीईटीपी का संचालन किया जा रहा था। डीएफ भी चालू था और परिचालन में था।
2. सीईटीपी ने हाल ही में 02 मौजूदा स्लज सेंट्रीफ्यूज पंपों के साथ 03 नई स्लज डी-वाटरिंग मशीनें जोड़ी हैं और ये नई स्थापित 03 मशीनें चालू हैं और मौजूदा 02 स्टैंडबाय मोड में हैं।
3. हाल ही में जोड़ा गया 01 लकड़ी से जलने वाला बॉयलर जिसकी क्षमता 01TPH है, एपीसीडी के रूप में साइक्लोन सेपरेटर के साथ स्टीम पैडलर ड्रायर भी प्रचालन में है।
4. निरीक्षण के दौरान अपशिष्ट को एकत्रित कर विश्लेषण के लिए बोर्ड की प्रयोगशाला में भेजा गया, विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार सीईटीपी, एक पैरामीटर अर्थात टीडीएस को छोड़कर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों को प्राप्त कर रहा है, लेकिन यह बोर्ड द्वारा निर्धारित कड़े उत्सर्जन मानकों को प्राप्त करने में विफल रहा है।
5. सीईटीपी वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

एसपीवी दिनांक 16.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने और सख्त अपशिष्ट निर्वहन मानकों को प्राप्त करने में विफल रही है। इस प्रकार, एसपीवी को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।

जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) पर आधारित सीईटीपी की स्थापना के लिए एसपीवी को 08.12.2014 के पर्यावरण मंत्रालय के पत्र के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 03.03.2016 को सीईटीपी पर मूल्यांकन समिति की एक अनुवर्ती बैठक एमओईएफ और सीसी में आयोजित की गई और बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि एसपीवी पहले चरण में पारंपरिक उपचार पद्धति पर आधारित सीईटीपी स्थापित करेगा और दूसरे चरण में जेडएलडी को अपना सकता है। उक्त बैठक का विवरण 18.03.2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र के तहत आदेश जारी किए गए थे, लेकिन एसपीवी ने आज तक दूसरे चरण यानी जेडएलडी को अपनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

एसपीवी ने बोर्ड के निम्नलिखित निर्णयों के विरुद्ध विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार के अपीलीय प्राधिकरण-सह-सचिव के समक्ष अपील दायर की है:

1. दिनांक 08.10.2021 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार एसपीवी को 01 करोड़ रुपये की पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई।
2. बोर्ड के दिनांक 4.10.2022 के आदेश संख्या 335 के तहत एसपीवी को 77.625 लाख रुपये की पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई।
3. एसपीवी से 2.4 करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करने के बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध।

हालाँकि, एसपीवी द्वारा दायर उपरोक्त अपीलों को अपीलीय प्राधिकरण-सह-सचिव, पंजाब सरकार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 20.05.2024 के आदेशों के तहत निर्णय दिया गया और खारिज कर दिया गया।

एसपीवी द्वारा 1 करोड़ रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) पहले ही जमा कर दी गई है और एसपीवी द्वारा पहले जमा की गई 2.4 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की राशि से 77.625 लाख रुपये की ईसी राशि वसूल की गई है। हालाँकि, एसपीवी ने बोर्ड द्वारा ईसी राशि 77.625 लाख रुपये यानी  $(2,40,00,000 - 77,62,500 = 1,62,37,500)$  की कटौती के बाद शेष राशि की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा नहीं की है। इस बीजी के खिलाफ एसपीवी द्वारा दायर अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।

एसपीवी सक्षम प्राधिकारी के निर्णयों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत संचालन की सहमति से इनकार करने के लिए एसपीवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष 09.07.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, जिसे 12.07.2024 तक स्थगित किया गया, 16.07.2024 तक स्थगित किया गया और 23.07.2024 तक स्थगित किया गया। एसपीवी की ओर से कोई भी सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। एसपीवी के अनुरोध पर विचार करते हुए, सुनवाई को आगे 09.08.2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालाँकि, एसपीवी की ओर से कोई भी 09.08.2024 को फिर से सुनवाई में शामिल नहीं हुआ।

एसपीवी के कार्य और आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कि एसपीवी सीईटीपी की ओर से रिपोर्ट किए गए मुद्दों/उल्लंघनों को हल करने के लिए गंभीर नहीं है और एसपीवी पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों के कार्यान्वयन से बचने के लिए बोर्ड द्वारा दी जा रही सुनवाई में भाग नहीं ले रहा है। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, बोर्ड के अध्यक्ष ने एकतरफा कार्यवाही करने का फैसला किया और निम्नलिखित निर्णय लिए:

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत एसपीवी द्वारा प्रवर्तित संचालन की सहमति को एकपक्षीय निर्णय के रूप में अस्वीकार किया जाए।

2. सीईटीपी द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय करने के लिए जल अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी करने के लिए नोटिस, जिसमें सीईटीपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शामिल हो सकता है।

एसपीवी के जिम्मेदार व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से एसपीवी के बैंक खाते के लेन-देन को रोकने, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत के आधार पर उचित पर्यावरण मुआवजा लगाने और मौजूदा सीईआईपी को जेडएलडी में अपग्रेड करने के लिए, एसपीवी को बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के साथ ही एक आदेश जारी किया जाना चाहिए।

बोर्ड के पत्र संख्या 5336-37 दिनांक 29.08.2024 के माध्यम से कार्यवाही की जानकारी एसपीवी को दी गई।

सुनवाई के निर्णयों के अनुपालन में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत परिचालन हेतु सहमति देने से इनकार कर दिया गया, जिसके लिए अधिसूचना संख्या सीटीओडब्ल्यू/नवीनीकरण/एलडीएच3/2024/25302219 दिनांक 30.08.2024 जारी की गई।

केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) के निर्देशों के अनुपालन में, सीपीसीबी ने 02.04.2024 को बुद्ध नाला और सतलुज नदी का निरीक्षण और निगरानी की है। सीपीसीबी ने 22.04.2024 को लुधियाना में स्थित 04 सीईटीपीएस का भी निरीक्षण किया है और लुधियाना के चार सीईटीपी द्वारा अनुपालन न किए जाने के संबंध में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(बी) के तहत निर्देश जारी किए हैं। सीपीसीबी की टीम ने 15 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी का दौरा किया और निम्नलिखित अवलोकन किए:

1. 22.04.2024 को किए गए दौरे के दौरान, सीईटीपी को 11.26 एमएलडी की प्रवाह दर के साथ चालू पाया गया। सीईटीपी समर्पित भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से अपशिष्ट प्राप्त करता है और इसका उपचार अनुक्रमिक बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित है। यह बताया गया कि सीईटीपी उपचारित अपशिष्ट को सीईटीपी से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से बुद्ध नाला (जो सतलुज नदी से मिलता है) में छोड़ रहा है। हालांकि, 08.12.2014 को एमओईएफ और सीसी द्वारा जारी ईसी के अनुसार, सीईटीपी को एक शून्य तरल निर्वहन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

2. 15 एमएलडी सीईटीपी के संचालन के लिए वायु अधिनियम, 1981 के तहत सहमति 31.03.2025 तक वैध है। हालांकि, जल अधिनियम, 1974 के तहत सहमति 04.01.2023 तक वैध थी और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण 04.10.2022 तक वैध था, जिसके लिए सीईटीपी ने पीपीसीबी को नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।

3. दौरे के दौरान टीम को बताया गया कि 36 रंगाई/छपाई/धुलाई इकाइयों ने सीईटीपी से सदस्यता प्राप्त कर ली है और सीईटीपी से जुड़ गई हैं।

4. निगरानी के दौरान सीईटीपी से गैब नमूने एकत्र किए गए। सीईटीपी आउटलेट से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि बी ओडी 243 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 30 मिलीग्राम/लीटर), सीओडी: 587 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 250 मिलीग्राम/लीटर), क्लोराइड: 1904 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 1000 मिलीग्राम/लीटर) और सल्फाइड: 16 मिलीग्राम/लीटर (मानक: 2 मिलीग्राम/लीटर) सीईटीपी के लिए अधिसूचित अपशिष्ट निर्वहन मानकों से अधिक है। शेष निगरानी किए गए पैरामीटर निर्धारित मानकों के भीतर पाए गए।

5. इसके अलावा, एमएलएसएस और एमएलवीएसएस के लिए सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर) टैंक से गैब नमूने एकत्र किए गए। नमूना विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि एमएलएसएस की सांद्रता: 2639 मिलीग्राम/लीटर (डिज़ाइन मूल्य: 4840 मिलीग्राम/लीटर) और एमएलवीएसएस की सांद्रता: 1179 मिलीग्राम/लीटर (डिज़ाइन मूल्य: 4840 मिलीग्राम/लीटर) है। मात्रा: 3872 मिलीग्राम/लीटर डिज़ाइन किए गए मानों से कम है, जो एसबीआर के खराब संचालन को इंगित करता है।

6. सीईटीपी ने पी.पी.सी.बी. और सी.पी.सी.बी. सर्वर से कनेक्टिविटी के साथ पीएच, टी.एस.एस., सी.ओ.डी., बी.ओ.डी. मापदंडों के लिए उपचारित अपशिष्ट के अंतिम आउटलेट पर ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओ.सी.ई.एम.एस.) स्थापित की है। दौरे के दौरान, ओ.सी.ई.एम.एस. चालू पाया गया और निगरानी परिणामों की तुलना में ओ.सी.ई.एम.एस. रीडिंग में भिन्नता भी रिपोर्ट की गई जो ओ.सी.ई.एम.एस. प्रणाली के अनुचित कामकाज/सत्यापन/अंशांकन को इंगित करता है।

7. दौरे के दौरान, यह देखा गया कि सीईटीपी ने स्लज भंडारण सुविधा प्रदान की है और स्लज के निपटान के लिए मेसर्स री-सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड (मेसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड) से सदस्यता प्राप्त की है। सीईटीपी ने टीएसडीएफ के माध्यम से 02.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान 602.685 मीट्रिक टन स्लज का निपटान किया था।

एसपीवी जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।

पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय-2, लुधियाना ने बताया कि 22.04.2024 को अपने दौरे पर रंगाई इकाइयों के लिए स्थापित लुधियाना के सीईटीपी के संचालन में सीपीसीबी द्वारा देखी गई कमियों के मद्देनजर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18/1(बी) के तहत दिनांक 12.08.2024 के पत्र के माध्यम से पर्यावरण मुआवजा लगाने सहित उचित कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि सीईटीपी का संचालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए:

घ) उपचार प्रणाली का उचित तरीके से संचालन/संवर्द्धन, ताकि निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके और 03.05.2013 और 08.12.2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन किया जा सके। उपरोक्त 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी सीईटीपीएस में उपचारित अपशिष्ट को बुद्ध नाला में डालना बंद किया जाएगा।

ड) जल अधिनियम, 1974 के तहत वैध सहमति / पीपीसीबी से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण और उसके उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करना।

च) आपूर्तिकर्ताओं की मानक संचालन प्रक्रियाओं/सिफारिशों के अनुसार ओसीईएमएस विश्लेषकों का नियमित अंशांकन, रखरखाव और सत्यापन करना, ताकि निरंतर और विश्वसनीय डेटा का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं:

घ. दिनांक 03.05.2013 और 08.12.2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के अनुसार संबंधित सीईटीपी के लिए निपटान की शर्तें निर्धारित करना।

ड. दिनांक 01.01.2016 की सीईटीपी अधिसूचना के अनुसार सीईटीपी के लिए इनलेट मानकों को निर्धारित करना।

च. समुचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए सीईटीपी के सदस्य उद्योगों का नियमित रूप से सत्यापन करना।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश जारी करने के लिए नोटिस, जैसा कि 1988 में संशोधित किया गया था, एसपीवी को जारी किया गया था और बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष 13.09.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, जिसे 18.09.2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

एस.पी.वी. (15 एम.एल.डी. का सी.ई.टी.पी.) के निदेशक श्री ललित जैन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री आई.के. कपिला ने सुनवाई में भाग लिया तथा लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख में लिया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि यद्यपि एस.पी.वी. द्वारा जेड.एल.डी. आधारित उपचार के लिए ई.सी. प्राप्त किया गया था, लेकिन बाद में एस.बी.आर. आधारित द्वितीयक स्तर के उपचार पर परियोजना की कल्पना की गई। प्रतिनिधियों ने आगे तर्क दिया कि 40 एम.एल.डी. तथा 50 एम.एल.डी. क्षमता के अन्य दो सी.ई.टी.पी. को जेड.एल.डी. स्तर के उपचार के लिए किसी शर्त/आवश्यकता के बिना विधिवत स्वीकृत किया गया था। बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एस.पी.वी. को 16.06.2023 को दी गई व्यक्तिगत सुनवाई के निर्णय के अनुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के संबंध में, प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि एस.पी.वी. ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करके उक्त निर्णय को चुनौती दी है तथा निर्णय लंबित है। प्रतिनिधियों ने सी.पी.सी.बी. द्वारा रिपोर्ट की गई तकनीकी टिप्पणियों से असहमति जताई तथा उन्हें एस.पी.वी. के लिए स्वीकार्य नहीं पाया तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर एस.पी.वी. को दंडित न करने पर जोर दिया। प्रतिनिधियों ने आगे बताया कि एसपीवी ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन किया है।

सुनवाई के दौरान सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि बोर्ड द्वारा एसपीवी को लगातार सीईटीपी को ईसी शर्तों के अनुरूप जेडएलडी तकनीक में अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया गया है और इस प्रकार बुद्ध नाले में अपना अपशिष्ट नहीं बहाया जाना चाहिए। हालांकि, एसपीवी ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। लुधियाना शहर को विभिन्न कारणों से गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है और इसका एक कारण पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों की गतिविधियाँ हैं। हालाँकि बोर्ड ने ईसी और प्रदर्शन बैंक गारंटी लगाई है, लेकिन एसपीवी अभी भी जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।

सुनवाई के दौरान उठाई गई टिप्पणियों का एसपीवी के प्रतिनिधि कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

विस्तृत विचार-विमर्श और एसपीवी के प्रतिनिधियों, बोर्ड के अधिकारियों की सुनवाई तथा मुद्दे की गंभीरता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के बाद, बोर्ड के अध्यक्ष ने पाया कि बुड़ढा नैला में अपशिष्ट जल के निर्वहन को रोकने का उद्देश्य निर्देश जारी किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बहादुरके रोड, लुधियाना में 15 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी का संचालन करने वाले एसपीवी को उचित निर्देश जारी करने के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के प्रावधानों को लागू करने का यह एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, बोर्ड के अध्यक्ष ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी के एसपीवी को निम्नलिखित निर्देश जारी करने का निर्णय लिया:

1. एसपीवी यह सुनिश्चित करेगा कि सीईटीपी की उपचार प्रणाली का संचालन/संवर्द्धन उचित रूप से किया जाए, ताकि निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.12.2014 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में उल्लिखित निपटान शर्तों का अनुपालन किया जा सके।
2. एसपीवी को 15 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी से बुद्ध नाला या किसी अन्य सतही जल निकाय में प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट को तुरंत रोकना होगा।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत 15 एमएलडी सीईटीपी के एसपीवी को निर्देश जारी करने के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय-3, लुधियाना के संबंधित पर्यावरण अभियंता को भी उपरोक्त आदेश का समर्थन करते हुए निम्नलिखित कार्यवाहियां करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है:

क. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बुड़ढा नाला में अपने अपशिष्ट को बहाकर एसपीवी द्वारा किए जा रहे निरंतर उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए सीईटीपी की शुरुआत के बाद से पर्यावरणीय मुआवजे की गणना करना, बोर्ड द्वारा पहले से लगाए गए ईसी की अवधि/राशि और एसपीवी द्वारा जमा की गई राशि को समायोजित करके।

ख. बोर्ड के पास लंबित एसपीवी के सहमति आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर तत्काल कार्रवाई करना।

उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना तथा बिना किसी विलम्ब के अनुशंसाओं सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत सुनवाई के निर्णयों का निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन करें तथा अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करें।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और की ओर से

इएनडी सं. 5800

दिनांक 25/09/24

कृपया उपरोक्त की एक प्रति सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, न्यू अर्जुन नगर, दिल्ली 110032 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और की ओर से

इएनडी सं. 5801

दिनांक 25/09/24

उपरोक्त की एक प्रति पर्यावरण अभियंता, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय-3, लुधियाना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और की ओर से

